राजस्थान विधान सभा

५९वीं बैठक, बुधवार, दिनांक २३ अगस्त, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ४–१० बजे (मध्यान्होत्तर) प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १४८९

महाराजा बाग, बाड़ी में मोटर पम्प द्वारा सिंचाई

श्री हंसराज जटिया—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १२५ वर्ष पुराने महाराज बाग, बाड़ी में सिंचाई का क्या प्रबन्ध है ?

(ख) क्या बाड़ी में मोटर पम्प लगाया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) यदि उत्तर हां में है तो कब लगाया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) एक पक्का कुआ है जिससे बाड़ी की सिंचाई की जाती है।

(ख) नहीं।

(ग) यह सरकार के विचाराधीन है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री हंसराज जटिया—यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से इसके लिए रुपयों की स्वीकृति मांगी है। स्वीकृति प्राप्त होते ही काम शुरू हो जायगा।

Page No.2

श्री हंसराज जटिया—यह स्वीकृति कब तक आ जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—निश्चित रूप से तो मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन जल्दी से जल्दी आ जायगी।

श्री जवानसिंह—यह मामला कब से सरकार के विचाराधीन आया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसी वर्ष से।

श्री जवानसिंह—इससे पहले क्या सरकार के ध्यान में ऐसा मामला नहीं आया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सरकार ने इस साल इसके बारे में व्यवस्था की जानी चाहिए,ऐसा सोचा; तब से यह विचाराधीन है।

श्री हिम्मतसिंह—बाड़ी कितने बीघा है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया – बाड़ी तहसील है।

प्रश्न संख्या १४९०

मोहनपुरा ठाकुरों को हजार मन लकड़ी काटने का परमिट

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि मोहनपुरा ठाकुरों को १००० मन लकड़ी काटने का सरकार द्वारा परमिट दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि ठाकुरों ने बहुत बड़ी तादाद में हरे वृक्ष काट लिये हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त वृक्षों के कटाने में राज्याधिकारियों का हाथ है ?

(ङ) क्या यह सही है कि तहसीलदार, किशनगढ़ ने हरे वृक्ष काटने की शिकायत उच्चाधिकारियों के पास की लेकिन कागजात दबा दिये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) जी हां।

(ख) तालाब की मरम्मत के लिये चूना पकाने के लिये।

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

(ग) जी नहीं, इस सम्बन्ध में और जांच के लिये लिखा गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) ठाकुर द्वारा हरे वृक्ष काटने के कागजात तहसीलदार द्वारा एस. डी. ओ. के पास भेजे गये हैं। कलेक्टर जयपुर को इस बारे में पूरी जांच करने के लिये लिखा गया है।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि जिस काम के लिये एक हजार मन लकड़ी का परमिट लिया गया था उस काम के लिये लकड़ी का उपयोग बिल्कुल नहीं हुआ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसकी जांच की जा रही है। जांच की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। गवर्नमेंट के नोटिस में जब यह बात आई तब जांच शुरू की गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एक हजार मन से ज्यादा लकड़ी काटी गई है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने अभी कहा था कि जांच अभी की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—यह जांच कब से शुरु हुई है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आपने प्रश्न पूछा तब से।

श्री चांदमल मेहता—इस प्रश्न के पहुंचने से प्रश्न का जवाब देने तक क्या प्रगति हुई है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट आने पर कह सकता हूं।

श्री चांदमल मेहता—एक हजार मन लकड़ी का कूंत किया गया या तोल किया गया था?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—कूंत किये जाने या तोल किये जाने का सवाल नहीं आता। कितनी खर्च हुई और कितनी नहीं, इसका अंदाज दरख्त कांटे उससे होगा।

श्री चांदमल मेहता—जब उनको इजाजत दी गई थी उस समय क्या पेड़ों की संख्या मुकर्रर की गई थी कि इन इनसे एक हजार मन लकड़ी हो जायगी?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—एरिया तय कर लिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—काटे गये पेड़ों की संख्या कितनी है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि पेड़ों की संख्या कितनी है और कहां कहां से काटे गये हैं ।

श्री चांदमल मेहता—इसकी जांच कितने समय में समाप्त हो जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जब जांच समाप्त हो जायगी तब जवाब दे दिया जायगा ।

श्री चांदमल मेहता—क्या जांच की समाप्ति की अवधि नहीं है ?

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट क्वैश्चन ।

प्रश्न संख्या १४९१

कक्षा ४ की पुस्तक 'सामाजिक अध्ययन' में गुरु गोविन्दसिंह जी की असत्य जीवन कहानी

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कक्षा ४ की पुस्तक "सामाजिक अध्ययन" के पृष्ठ ३५ पर चौदहवीं कहानी गुरू गोविन्दसिंह की है ?

(ख) क्या यह ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्कुल असत्य नहीं है ?

(ग) क्या इसमें लिखा गया है :

(१) गुरू तेगबहादुर जी को काश्मीरी ब्राह्मणों की हुकूमत के विरुद्ध भड़काने पर मौत का दण्ड दिया जाना ?

(२) गुरू गोविंदसिंहजी का केवल पिता की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा करना ?

(३) अमृत जैसी ऐतिहासिक वस्तु को बार बार शर्बत सिद्ध करने का प्रयत्न करना ?

(घ) क्या सरकार उस पुस्तक में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से परिवर्तन करने को तत्पर है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री भोलानाथ—(क) पुस्तक में जो बातें लिखी गई हैं वे ऐतिहासिक दृष्टि से तो

[श्री भोलानाथ]

असत्य नहीं हैं। उसमें कोई ऐसी बात इसलिये नहीं लिखी गई है कि जिससे सिख जनता के हृदय दुखी हों। अलबत्ता जिस भाषा में यह बातें लिखी गई थीं वे विषय के अनुरूप नहीं थीं।

(ख) पुस्तक के उक्त स्थलों की भाषा में आवश्यक परिवर्तन कर दिये गये हैं। यदि और भी परिवर्तन आवश्यक समझा जावे तो इस सम्बन्ध में रचनात्मक सुझाव दिये जावें; उनके अनुसार संशोधन किया जा सकेगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि बीकानेर डिविजन में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं वे सब पुरानी एडीशन की हैं?

श्री भोलानाथ—मैंने कहा है कि पूरा कोर्स बदला गया है। पहले की जो किताबें खरीदी गई हैं वे चलेंगी ही, क्योंकि उनमें पैसे लगे हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मेरा सवाल यह है कि बीकानेर डिविजन में अब तक पढ़ाई पुराने एडीशन की किताबों से ही हो रही है?

श्री भोलानाथ—जिन बच्चों ने खरीद ली हैं वे वापिस नहीं दी जा सकतीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार एक सर्कूलर जारी करेगी कि नये एडीशन की किताबें पढ़ाई जांय?

श्री भोलानाथ—अवश्य।

प्रश्न संख्या १४६२

मैट्रिक व इन्टरमीजिएट पास अध्यापकों को मिडिल ग्रेड के अध्यापकों की ट्रेनिंग में भेजा जाना

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि मैट्रिक व इन्टरमीजियेट पास अध्यापकों को मिडिल ग्रेड के अध्यापकों की ट्रेनिंग में भेजा गया है?

(ख) यदि हां, तो ५३-५४ के वर्ष में ऐसे कितने अध्यापकों को सरकार द्वारा आज्ञा दी गई?

(ग) ऐसे कितने अध्यापक हैं जिन्होंने इस प्रकार की ट्रेनिंग में जाना अस्वीकार किया?

[श्री चांदमल मेहता]

(घ) क्या यह सही है कि अस्वीकार करने वाले अध्यापकों को अगले वर्ष में अपने खर्चे से ट्रेनिंग में जाने का आदेश दिया गया है ?

(ङ) यदि हां, तो कितने अध्यापकों को ?

श्री भोलानाथ—(क) नहीं। मैट्रिक व इन्टरमीडियेट पास अध्यापकों को मिडिल ग्रेड के अध्यापकों की ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिविजन में ऐसे अध्यापक मौजूद हैं जिनके मैट्रिक और इन्टरमीडियेट पास होते हुए भी उनको मिडिल की ट्रेनिंग में भेजा गया ?

श्री भोलानाथ—वे मिडिल ग्रेड में ही चल रहे होंगे।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने अध्यापक थे जो मैट्रिक और इंटर होते हुए भी मिडिल की ट्रेनिंग समाप्त करके आये और ऐसे कितने थे जो इस ट्रेनिंग को बिना समाप्त किये वापिस आ गये।

श्री भोलानाथ—किस साल का जिक्र कर रहे हैं आप ?

श्री चांदमल मेहता—५३-५४ के बारे में प्रश्न पूछा गया है, आप प्रश्न देख लें।

श्री भोलानाथ—५३-५४ में किसी को नहीं भेजा गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या इससे यह समझा जाय कि ५३-५४ में किशनगढ़ सब डिविजन से किसी अध्यापक को जो मैट्रिक या इन्टर था, मिडिल की ट्रेनिंग के लिये नहीं भेजा गया ?

श्री भोलानाथ—जो अध्यापक मिडिल ग्रेड में थे चाहे वे मैट्रिक या इन्टर क्यों न हों, उनको मिडिल की ट्रेनिंग लेनी जरूरी थी। लेकिन जो अध्यापक मैट्रिक ग्रेड में थे उनको मिडिल की ट्रेनिंग में नहीं भेजा गया।

श्री चांदमल मेहता—मेरा प्रश्न यह है कि मैट्रिक और इन्टरमीडियेट तक शिक्षा पाये हुए कितने अध्यापक हैं जिनको मिडिल की ट्रेनिंग दी गई ?

श्री भोलानाथ—इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। डिपार्टमेंट का सम्बन्ध इससे है कि जिस ग्रेड में अध्यापक है उसको उसी की ट्रेनिंग दी जाय।

श्री चांदमल मेहता—डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है या नहीं, मैं जवाब चाहता हूं कि जो मैट्रिक या इंटर पास अध्यापक थे उनको मिडिल ग्रेड की ट्रेनिंग में भेजा गया या नहीं और इसका जवाब आप यह दे रहे हैं कि नहीं भेजे गये थे। आप फिर विचार करके जवाब दीजिये।

श्री भोलानाथ—मैंने आपको बताया कि कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो मैट्रिक या इंटर पास होंगे लेकिन उनका मिडिल ग्रेड है, तो उनको मिडिल ग्रेड की ट्रेनिंग में भेजना पड़ता है। विभाग को ज्ञात होते हुए भी कि ये मैट्रिक पास हैं उनको उसी ग्रेड में भेजना पड़ता है जिसमें वे होते हैं।

श्री चांदमल मेहता—मेरा प्रश्न यह है कि मैट्रिक और इन्टरमीडियेट पास अध्यापकों को भेजा गया या नहीं भेजा गया ? यदि नहीं भेजा गया तो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री भोलानाथ—जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैट्रिक, इन्टर या बी. ए. क्यों न हो, मिडिल ग्रेड में है तो उसको मिडिल की ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा।

श्री चांदमल मेहता—मिडिल ग्रेड में किशनगढ़ से भेजे गये या नहीं ?

श्री भोलानाथ—भेजे गये थे तो उनको वापिस बुला लिया गया।

श्री चांदमल मेहता—मैं उनकी संख्या जानना चाहूँगा।

श्री भोलानाथ—संख्या चाहते हैं तो दुबारा प्रश्न पूछिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि चालू वर्ष में जिन मैट्रिक ग्रेड अध्यापकों को मिडिल की ट्रेनिंग में भेजा गया उन्होंने जाने से इन्कार कर दिया और उनको पनिशमेन्ट दिया गया किशनगढ़ में ?

श्री भोलानाथ—यदि वे मिडिल ग्रेड अध्यापक थे और उन्होंने ट्रेनिंग में जाने से इन्कार किया तो उनको जरूर सजा दी जायगी। उनको अब अपने निजी खर्चे से जाना होगा।

श्री चांदमल मेहता—यह तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनको मिडिल ग्रेड की ट्रेनिंग के लिये जाने के लिये मजबूर किया गया और जिन्होंने जाने से इन्कार किया उनको क्या सजा दी गई ?

श्री भोलानाथ—इसमें सजा का सवाल नहीं है।

श्री रामदयाल—क्या यह सही है कि कई मैट्रिक पास अध्यापक मिडिल ग्रेड में हैं और नये मैट्रिक पास को मैट्रिक ग्रेड में लिया जाता है ?

श्री भोलानाथ—हां, यह ठीक है।

श्री रामदयाल—क्या जो डिपार्टमेंन्ट में मैट्रिक पास ऑलरेडी हैं उनको मैट्रिक ग्रेड नयों से पहले नहीं देना चाहिये ?

श्री भोलानाथ—जरूर देना चाहते हैं, लेकिन सर्विस का ख्याल करके।

श्री रामदयाल—क्या जिनको नया भरती करते हैं उनकी सर्विस जो आलरेडी डिपार्टमेंन्ट में हैं उनसे ज्यादा है ?

श्री भोलानाथ—कुछ का डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट होता है और कुछ को डिपार्टमेन्टल तरक्की दी जाती है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही है कि इन्टरमीडियेट को मैट्रिक ग्रेड में लिया गया है ?

श्री भोलानाथ—अवश्य।

प्रश्न संख्या १४६३

कृषि विभाग द्वारा जुलाई, १९५४ में किशनगढ़ के गुदोलाब तालाब में पाउडर

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कृषि विभाग द्वारा जुलाई सन् १९५४ में किशनगढ़ के गुदोलाब तालाब में कोई पाउडर डाला गया ?

(ख) यदि हां, तो किस कारण से ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) जी हां।

(ख) कीड़ों को नष्ट करने के लिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उस पानी में इस पाउडर के मिलाने से कई जानवर मारे गये जो कि इस तालाब में पानी पीने आते थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी कोई सूचना नहीं है। हां, अलबत्ता इस पाउडर से उस पानी के कीड़े सब मर गये हैं।

Page No.9

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह पाउडर डालने से उस तालाब का कुओं में जो पानी गया उसमें भी खराबी पैदा हो गई, जिससे कई मनुष्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह बिल्कुल असत्य है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सत्य है कि यह पाउडर पानी में डालने से जनता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है , क्या सरकार इसकी जांच करने को तैयार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर निश्चित रूप से कोई स्पेसिफिक सिम्पटम्स बताये जायं तो जांच की जा सकती है ।

श्री चांदमल मेहता—अलावा कीड़े—मकोड़ों के, इस पाउडर के डालने से और कितने जानवर मरें ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—एक भी नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—किस विभाग की ओर से किस दृष्टि से यह पाउडर डाला गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—विभाग का इसमें सवाल नहीं । अपने आप कीड़े ज्यादा हो गये थे, इसलिये स्वास्थ्य को खास लाभ हो इस दृष्टि से पाउडर डाला गया था ।

श्री चांदमल मेहता—किसकी मांग पर यह पाउडर डाला गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—वहां के नागरिकों की मांग पर ।

श्री चांदमल मेहता—वहां के नागरिकों में से कौन कौन थे जिन्होंने यह मांग की ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आपके सिवा और बहुत से थे ।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वहां सिंघाडों की काश्त कर रखी थी, जिसके लिये वहां के लोगों ने मना किया था, फिर भी सिंघाडे बोये गये और उनकी मांग पर यह पाउडर डाला गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी नहीं ।

श्री जवानसिंह—यह कौन सा पाउडर डाला गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Definitely it was not gun powder.

(हंसी)

एक माननीय सदस्य--क्या कॉलेरा को रोकने के लिये यह पाउडर डाला गया था ?

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १४६४

तहसील मेड़ता में हरिजनों पर जाटों का अत्याचार

श्री भोपालसिंह—क्या बैकवर्ड क्लॉसेज़ मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील मेड़ता में हरिजन, रेगर, भांभियों के साथ गांव में जाटों द्वारा अत्याचार यानि मारपीट, पीने का पानी बन्द करना, मवेशियों को जंगल में नहीं चरने देना, उनको मोहल्ले से बाहर नहीं निकलने देना, मजदूरी पर नहीं ले जाना, आपस में बोलने का व्यवहार तक नहीं रखना, कहीं कहीं घर तक फोड़ देना किया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसको कब तक शान्त कर दिया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हां ।

(ख) प्रयत्न जारी हैं ।

श्री भोपाल सिंह—प्रयत्नों में सफलता हुई या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—काफी सफलता हुई है, पर पूरी पूरी सफलता अभी नहीं हुई है ।

श्री भोपालसिंह— पूरी पूरी सफलता कब तक हो जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बराबर प्रयत्न कर रहे हैं, परमात्मा ने चाहा तो जल्दी ही होगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपस में समझौते करवाना; १०७ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही भी कई लोगों के खिलाफ की जा रही है । लोग मुचलके लिख लिख कर दे रहे हैं, माफी मांग रहे हैं । एस. डी. ओ. को हिदायतें दे दी गई हैं कि जहां कहीं इस तरह की शिकायत हो तुरन्त मौके पर पहुँचे और वहां के लोगों की कठिनाइयों को दूर करें ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—परमात्मा क्या चाहता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—परमात्मा सुधार चाहता है जो जल्दी ही होगा।

श्री सरदारसिंह (उणियारा)—आपस में वे लोग हरिजनों से अच्छी तरह बोलें-चालें इसके लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसे प्रयत्न भी किये जा रहे हैं।

श्री भोपालसिंह—इसके लिये कोई कानूनी कार्यवाही की गई या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अभी बताया कि १०७ की कार्यवाही कई लोगों के खिलाफ चल रही है और लोगों पर इसके मातहत मामले भी चल रहे हैं।

श्री भोपालसिंह—जिन लोगों ने अत्याचार किये उन लोगों को गिरफ्तार किया गया या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुचलके ले लिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४६५

परबतसर तहसील की पाठशालाओं में चपरासी

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) परबतसर तहसील के किस किस स्कूल में चपरासी हैं ?

(ख) ऐसी कितनी स्कूलें हैं जहां चपरासी नहीं हैं ?

(ग) उक्त भेदभाव के क्या कारण हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) परबतसर तहसील की निम्नलिखित स्कूलों में चपरासी कार्य कर रहे हैं:—

गवर्नमेन्ट मिडिल स्कूल	परबतसर	३
,,	थानवाला	२
,,	मारोठ	२
,,	बोरावर	२
,,	बरसू	२

[श्री भोलानाथ]

गवर्नमेन्ट मिडिल स्कूल	पीलवा	२
प्राइमरी स्कूल	परबतसर	१
,,	गच्छीपुरा	१
,,	मकराना नं० १	१
,,	मकराना नं० २	१
,,	रिड	१
,,	जतनपुरा	१
,,	वनवाल	१

(ख) परबतसर तहसील के जिन स्कूलों में चपरासी नहीं हैं उनकी संख्या २८ है।

(ग) अब एक अध्यापक वाले किसी स्कूल को चपरासी नहीं दिया जाता। स्कूल की सफाई का कार्य करने व पानी पिलाने के लिये अलाउन्स दे दिया जाता है। भूतकाल में यह नियम था कि जिन स्कूलों में १०० या १०० से अधिक छात्र होते थे उस स्कूल में तो चपरासी दे दिया जाता था और जिन स्कूलों में १०० से कम छात्र होते थे वहां चपरासी नहीं दिया जाता था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बंवाल गांव की स्कूल में भी चपरासी है?

श्री भोलानाथ—मेरी सूची में नहीं है, रह गया होगा तो तलाश करवा लूंगा।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं जिनमें कुछ में चपरासी हैं और कुछ में नहीं हैं?

श्री भोलानाथ—मैंने कहा न कि २८ में चपरासी नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—मेरा मतलब प्रश्न पूछने का यह है कि प्राइमरी स्कूलों में कुछ में चपरासी हैं और कुछ में नहीं हैं, तो इस भेदभाव को मिटाने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है?

श्री भोलानाथ—अब चपरासी देने का कायदा नहीं रहा, अब अलाउन्स देंगे। पुराने हैं वहां जारी रहेंगे चपरासी और नई होंगी वहां अलाउन्स दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—पुरानी स्कूलों में जहां चपरासी हैं उनको हटा नहीं रहे हैं?

श्री भोलानाथ—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—जो पुरानी स्कूलें हैं, फिर भी वहां चपरासी नहीं हैं वहां क्या चपरासी रखे जायेंगे ?

श्री भोलानाथ—पहले यह कायदा था कि १०० तक छात्रों की संख्या हो जाती थी तो एक चपरासी दे दिया जाता था, अगर ऐसा हुआ तो वहां पर जांच करके विचार किया जायगा ।

श्री चांदमल मेहता—१०० छात्र से ज्यादा संख्या वाली स्कूलें ऐसी हैं कि जहां चपरासी नहीं हैं तो क्या वहां चपरासी की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री भोलानाथ—ऐसा प्रश्न आयेगा तो विचार किया जायगा ।

प्रश्न संख्या १४६६

फरूरलावता (त० किशनगढ़) की जनता द्वारा पाठशाला के लिए भवन-निर्माण

श्री **चांदमल मेहता**—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि फरूरलावता (तहसील किशनगढ़) की जनता ने अपने खर्च से स्कूल की इमारत बनाई है ?

(ख) क्या यह सही है कि गांव वालों को आधा खर्चा उक्त स्कूल के बनाने में सरकार से देने का आश्वासन दिया गया था ?

(ग) यदि हां, तो कितना रुपया सरकार द्वारा इस काम के लिये दिया गया है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री **भोलानाथ**—(क) हां, यह सही है कि फरूरलावता (तहसील किशनगढ़) की जनता ने अपने खर्चे से स्कूल की इमारत बनाई है ।

(ख) हां । उक्त स्कूल की इमारत बनाने के लिये आधा खर्चा डेवलपमेंट फंड की रकम में से दिये जाने के लिए सिफारिश करने को अवश्य कहा गया था ।

(ग) कलेक्टर, जयपुर डिविजन, जयपुर को उक्त स्कूल बनाने के लिए तहसीलदार और इन्सपेक्टर ने ग्रान्ट के लिए सिफारिश की गई है, परन्तु अभी तक यह रकम स्वीकृत नहीं हुई है ।

(घ) 'ग' प्रश्न के उत्तर से 'घ' भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो रकम स्वीकृत हुई वह लैप्स हो गई और स्कूलों को नहीं दी गई ?

श्री भोला नाथ—यह डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से पूछा जाय तो ठीक होगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या अब माननीय मंत्री महोदय डेवलपमेंट विभाग से ताकीद करेंगे कि गांव वालों को बराबर आधा खर्चा दे दिया जाय ?

श्री भोलानाथ—निश्चित रूप से यह हमारा तो काम रहा है, इतनी लिखा पढ़ी की है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४६७

टिड्डी का पश्चिमी रेगिस्तान में भयंकर आक्रमण

श्री खेतसिंह—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि गत वर्षों से इस वर्ष कई सौ गुना अधिक टिड्डी का आक्रमण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में हो रहा है ?

(ख) क्या यह सही है कि टिड्डी ने वहां बहुत अधिक मात्रा में बच्चे पैदा कर दिये हैं जिनके बड़े होने पर पूरे राजस्थान की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है ?

(ग) क्या यह सही कि टिड्डी ने वहां खड़ी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है जिससे भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई है ?

(घ) क्या यह सही है कि राजस्थान व भारत सरकार इस वर्ष भी टिड्डी समाप्त करने में कतई सफल नहीं हुई है ?

(ङ) क्या सरकार उस रेगिस्तानी इलाके को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मोहन लाल सुखाडिया—(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ङ) जी नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि गत १५ रोज से वर्षा नहीं होने से भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी हां।

श्री खेतसिंह—यदि सरकार को मालूम है तो क्यों नहीं उस एरिया में अकाल की स्थिति घोषित करती ?

श्री मोहन लाल सुखाडिया—माननीय सदस्य को पता नहीं है कि और और जगहों में भी वर्षा के अभाव में इससे ज्यादा दिक्कतें हैं परन्तु निश्चित अवधि से पहले अकाल की स्थिति घोषित नहीं की जाती।

श्री संतोष सिंह कछवाहा—यह भयंकर स्थिति सिर्फ शेरगढ़ में ही हुई है या और भी गांवों में ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जो माननीय सदस्य कहने के लिये खड़े हुए थे उनके इलाके में तो कम से कम ऐसी स्थिति अभी तक पैदा नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री कानसिंह—क्या जोधपुर आदि की तरफ किसानों को नुकसान हुआ है वह वर्षा की कमी के कारण से या टिड्डी के कारण से हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जहां तक मैं आपके प्रश्न को समझ पाया हूँ वह यह है कि जो फसल खराब हुई है वह वर्षा की कमी से हुई है या टिड्डी के कारण हुई है; क्या आपका यही प्रश्न है ?

हम दोनों ही वजह देखते हैं। लेकिन मैं इतना सदन को बता दूं कि टिड्डी की वजह से फसल नष्ट हुई हो यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५६८

तारानगर (जि० चूरू) में अकाल नाकेदार के विरुद्ध रिश्वत की शिकायतें

श्री प्रभुदयाल (वि० सं० ११६)—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री प्रभुदयाल]

(क) क्या तारानगर (जिला चूरू) में अकाल नाकेदार (थानेदार) के खिलाफ रिश्वत के विषय में कोई शिकायत आई है ?

(ख) उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)—(क) हां, ऐसी शिकायत आई थी।

(ख) इसके लिए जांच की आज्ञा दे दी गई है।

श्री प्रभुदयाल—कब तक जांच पूरी हो जावेगी ?

श्री भोलानाथ—अभी आपको शिकायत किये हुए १५-२० दिन ही हुए हैं कोई ज्यादा दिन नहीं हुए हैं।

एक माननीय सदस्य—क्या सायर थानेदार और नाकेदार एक ही होते हैं ?

श्री भोलानाथ—जी हां।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हरिकृष्ण व्यास।

प्रश्न संख्या १५६६

भीम में, अजमेर जिला बोर्ड अध्यादेश के अन्तर्गत, बसों का एक रुपये का टौल टैक्स

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Transport be pleased to answer :

(a) Is the Government aware that the authorities in Bhim Tehsil charge Re. 1/- per bus per trip as Toll Tax under the alleged authority of a District Boards Ordinance of the State of Ajmer ?

(b) Is the Government aware that the Ajmer State has now repealed that ordinance but the authorities in Bhim are still continuing to recover this toll tax ?

(c) Will the Government take steps to rectify the anamolous position ?

श्री रामकरण जोशी—(अ) भीम जिला बोर्ड आठ आना प्रति गाड़ी हर सफर "पथ कर" (टौल टैक्स) लगाती है न कि एक रुपया।

[श्री रामकरण जोशी]

(ब) यह कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑर्डिनेन्स, अजमेर, के अन्तर्गत नहीं किन्तु इण्डियन टौल टैक्स सन्, १८५१ के अन्तर्गत लगाया गया है और अभी इस कर के वसूल किये जाने में कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है।

(स) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि टौल टैक्स जब अजमेर के मातहत था तब से लगता आ रहा है ?

श्री रामकरण जोशी—जी हां, तब से आ रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि वहां के अलावा यह कानून उदयपुर और अजमेर के इलाके में कहीं नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—राजस्थान में ऐसा कोई कानून नहीं है लेकिन वे इलाके जो राजस्थान में मिला लिये गये थे अपने साथ कुछ परम्परायें लेकर आये थे और उन्हीं परम्पराओं के अनुसार यह टैक्स लागू है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—राजस्थान में शामिल होने के बाद राजस्थान के समान इलाकों के कानून वहां लागू क्यों नहीं किये ?

श्री रामकरण जोशी—यह प्रबन्ध है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के बगैर कोई कानून नहीं लाया जा सकता है। वहां मोटर वैहिकल एक्ट १९५१ लागू नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस सिलसिले में कानूनी राय के लिए कोई प्रयत्न किया गया और उसके मुताबिक कदम उठाया गया ? Has the Government invited legal opinion in this regard ?

श्री रामकरण जोशी—Not clear please.

श्री हरिकृष्ण व्यास—After the commencement of our Constitution, has the Government taken legal opinion to find out whether the statement that is being made now is in conformity with law ?

श्री रामकरण जोशी—जब तक इसके बारे में यह घोषणा नहीं कर दी जावे कि इस कानून को रद्द कर दिया गया है तब तक यह कानून रहता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मौजूदा कानून जो पास होते हैं उनके बाद वे मीम के इलाके में गैर कानूनी करार दिये जाते हैं ?

Page No.18

श्री अध्यक्ष—Next. Any Other supplementary ? (No response).

प्रश्न संख्या १५००

राजगढ़ (जिला चूरू) के हाई स्कूल भवन का शीघ्रातिशीघ्र जीर्णोद्धार

श्री प्रभुदयाल—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजगढ़ (जिला चूरू) हाई स्कूल की इमारत डेमेज्ड है ? यदि हां, तो कितने अर्से से ?

(ख) क्या सरकार के पास इस विषय में समय समय पर शिकायतें आती रही हैं ?

(ग) क्या पी० डब्ल्यू० डी० इन्जीनियर ने भी इमारत का निरीक्षण करके अपनी राय दी थी, अगर हां तो क्या ?

(घ) सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की है तो कब तक की जायगी ?

(ङ) क्या सरकार कोई स्पेशल ऑफिसर भेज कर शीघ्रातिशीघ्र सही स्थिति की जांच कराने को तैयार है ? अगर हां, तो कब तक ?

(च) क्या सरकार को विदित है कि इस साल से इमारत डेमेज्ड होने के कारण हाई स्कूल की प्राईमरी कक्षायें तोड़ दी गई हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) करीब दो वर्ष से।

(ख) हां।

(ग) पी. डब्ल्यू. डी. के एक्जीक्युटिव इन्जिनियर्स ने इमारत का निरीक्षण करके कुछ कमरों को उपयोग के अयोग्य बताया था।

(घ) सरकार ने इमारत की मरम्मत के लिए एस्टीमेट बनवाया और सेठ सूरजमल मोहता से जिन्होंने इस स्कूल की मौजूदा इमारत बनवाई है, इमारत की मरम्मत करवाने के लिए कहा। उन्होंने मरम्मत के काम को पी. डब्ल्यू. डी. से न करा कर खुद कराना चाहा, इसके लिए भी सेठजी को इजाजत दिला दी गई।

(ङ) सही स्थिति से सरकार वाकिफ है, अतः मजीद जांच की जरूरत नहीं रहती।

[श्री भोलानाथ]

(च) हाई स्कूल राजगढ़ की प्राईमरी कक्षायें इमारत के क्षति ग्रस्त होने के कारण नहीं तोड़ी गई हैं बल्कि ये कक्षायें पास ही के प्राईमरी स्कूल में भेज दी गई हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह स्वीकृति कब दी गई ?

श्री भोलानाथ—तारीख नहीं बता सकता, तारीख मेरे पास नहीं है । दो वर्ष से ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री के ध्यान में है कि इस प्रकार का उत्तर आज से १।। साल पहिले दिया गया था ?

श्री भोलानाथ—मैंने कहा कि दो वर्ष से ।

श्री एच० के० व्यास—क्या यह सही है कि आज २ साल बाद उसको बनाने के लिए सिफारिश की गई है ?

श्री भोलानाथ—वे खुद बनाने को तैयार हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में है कि उस वक्त भी यही कहा गया था कि वे खुद बनाना चाहते हैं । उनको खुद को बनाने की अब स्वीकृति दे दी गई है । उस बात को दो वर्ष बीत चुके हैं, क्या यह सही है ?

श्री भोलानाथ—यह बात तो ठीक ही है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १५०१

सरवाड़ तहसील में बिना नाम की भूमियों पर काश्तकारों को काश्त न करने देना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सरवाड़ तहसील में बिना नाम की जमीनों में जो काश्तकार पहिले काश्त करते आये हैं उन्हें उन जमीनों में काश्त करने से रोक दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया है कि बिना नाम की जमीनों पर काश्त करने वालों को जमीन पर काश्त करने से रोका जावे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी हां, अगर ऐसा हो तो ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ऐसे किसानों को जो पिछले १० वर्ष से जमीन को बो रहे हैं उनको भी काश्त करने से रोका जा रहा है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—रोका नहीं गया, मगर इस प्रकार के आदेश जरूर जारी किये हैं कि बिना नाम की जमीन पर कोई काश्त करता हो तो उसको रोका जाये ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उन लोगों को काश्त करने की इजाजत मांगने पर इजाजत नहीं दी जाती और रोका जाता है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—रोका नहीं गया लेकिन आदेश निश्चित तौर से यह दिये गये हैं कि उन्हें रोका जावे ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बात की जांच करने के लिए तैयार हैं कि सैंकड़ों किसानों पर ऐसा किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं अनिश्चित बात का जवाब नहीं देना चाहता। निश्चित तौर से नाम बताये जावें तो उसका उत्तर दे सकता हूं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरवाड़ तहसील के कांग्रेस प्रेसिडेन्ट ने इस बारे में शिकायत पेश की कि किसानों को काश्त करने से रोक दिया गया है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—शिकायत आई थी । मगर मैंने कहा कि किसी को बेदखल नहीं किया गया ।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस सम्बन्ध में जांच की गई और की गई तो कितने किसानों को काश्त करने से रोका जाना साबित हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जांच ही नहीं की गई । आदेश दिया गया ।

श्री चांदमल मेहता—क्या आदेश की तामील हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(अश्रव्य) ।

एक माननीय सदस्य—बिना नाम की कौनसी जमीन होती है ?

Page No.21

श्री चांदमल मेहता—आपने कहा कि आदेश दिया गया। किस अधिकारी को आदेश दिया गया और यह जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जांच कराई जाना या जांच का आदेश दिया जाना निश्चित शिकायत के आने पर होता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सदन में सदस्य मांग करे और प्रेसिडेन्ट कांग्रेस सरवाड़ तहसील इसकी मांग करे, यह निश्चित शिकायत नहीं है जांच के लिये?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—तो फिर जांच के लिए क्या निश्चित बात आप चाहते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—कोई निश्चित बात हो तो उसके लिए निश्चित आदेश दिये जा सकते हैं। अनिश्चित बात के लिए कोई आदेश नहीं दिये जा सकते।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरवाड़ कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट की तरफ से प्रार्थना—पत्र इस सम्बन्ध में आये, क्या उसके अन्दर कोई निश्चित आधार नहीं था?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आपसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रेसिडेन्ट सरवाड़ कांग्रेस कमेटी का रेफरेन्स यहां पर न देकर अपना ही रेफरेन्स दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री चांदमल मेहता—कोई जांच कराने के लिए केवल आदेश ही दिये गये या कोई अधिकारी भी मुकर्रर हुआ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने पहले इसका जवाब दे दिया है और इससे ज्यादा निश्चित जवाब क्या चाहते हैं कि वहां पर किसी को रोका नहीं गया? अगर यह बताया जावे कि किस को रोका गया तो मैं उसका जवाब दूं।

श्री जवानसिंह—क्या इन काश्तकारों को जो बिना नाम की जमीन काश्त करते हैं उनको ट्रेसपासर में माना गया है?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पेसिफिक इन्स्टान्स चाहते हैं, then the enquiry can be ordered. It is all in the vacuum.

श्री जवानसिंह—No, Sir, the Hon'ble Minister's reply is that the cultiva-

[श्री जवानसिंह]

tors have not been ejected from land in Sarwar Tehsil which is Bila Nami. My question is, why those tenants have not been ejected ? Whether they are trespassers or have got right in the land ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Sir, we are going into detailed enquiries.

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या १५०२

राजाखेड़ा (धौलपुर) इत्यादि गांवों में प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना

श्री हंसराज जटिया—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्राईमरी स्कूल कितनी जन संख्या के पीछे खोले जाते हैं व मिडिल स्कूल और हाई स्कूल कितनी पर ?

(ख) क्या राजाखेड़ा, तसीमों, वसेड़ी, सरमथुरा, धौलपुर यूनिट में जहां पर मिडिल स्कूल हैं कोई हाई स्कूल खोले जाने के हेतु सरकार की कोई योजना है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) प्राईमरी, मिडिल व हाई स्कूल खोलते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है ।

१—जन संख्या,

२—छात्र संख्या,

३ – भवन की सुविधा तथा अन्य सार्वजनिक सहयोग ।

(ख) धौलपुर यूनिट में राजाखेड़ा, तसीमों, बसेड़ी, सरमथुरा में इस वर्ष हाई स्कूल खोलने की अभी कोई योजना नहीं है ।

श्री हंसराज जटिया—शिक्षा विभाग ने राजाखेड़ा विश्राम गृह किस लिए लिया है ?

श्री अध्यक्ष—शायद स्कूल के लिए, ऐसा तात्पर्य है ?

श्री भोलानाथ—वहां के नागरिकों ने दरख्वास्त दी थी कि मिडिल स्कूल के लिए जो उनके पास इमारत है वह छोटी पड़ती है इसलिए स्कूल के लिए वह दे दिया जाय । पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी करके वह दे दिया ।

श्री हंसराज जटिया—तो पहले वह कैसे चल रहा था ?

श्री भोलानाथ—जगह कम थी और बच्चे बाहर बैठते थे ।

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल ।

प्रश्न संख्या १५०३

राजस्थान में टिड्डियों के बच्चों और अंडों को समाप्त करने के शासकीय कदम

(श्री श्रीदास गोयल, प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह—The question is of very great public importance and if the answer is laid before the House...

श्री अध्यक्ष—It is the discretion of the Minister.

श्री जवानसिंह—I hope the Minister will realise that.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इजाजत दें तो कहूँ ।

[प्रश्न इस प्रकार है : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन मास में राजस्थान के कौन कौन से भागों में टिड्डयों द्वारा आक्रमण हुआ ?

(ख) कहां २ टिड्डयों द्वारा अंडे छोड़े गये ?

(ग) कितना कितना किस किस स्थान पर नुकसान हुआ ?

(घ) टिड्डियों, अंडों तथा टिड्डियों के बच्चों को नष्ट करने के लिए क्या क्या कदम उठाये गये ?

(ङ) क्या राजस्थान में अब भी कहीं टिड्डियां, उनके अंडे या बच्चे मौजूद हैं ?

(च) यदि हां तो सरकार उनके खत्म करने के लिए क्या २ कार्यवाही कर रही है ?]

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—मैं इसका उत्तर संक्षेप में बता दूं ।

(क) बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अतिरिक्त सब ही जिलों में ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ख) अलवर, भरतपुर, टोंक, जयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा व उदयपुर जिलों में।

(ग) तहसील जयपुर, सवाई, बैराठ, गंगानगर, राजसमन्द और देवगढ़ तहसीलों में बहुत साधारण नुकसान की रिपोर्ट है। नुकसान के आंकड़े तत्काल उपस्थित नहीं हैं। जहां टिड्डियां उतरीं वहां दुबारा बोवनी भी कर दी गई है।

(घ) विषैली औषधियों और हाथ तथा मशीनों द्वारा चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है।

(ङ) हां। जिला नागौर, सिरोही, पाली व अलवर में मौजूद हैं।

(च) सरकार इनसे बचने के लिए सब प्रकार के साधन काम में ला रही है। मसलन जहरीली दवाइयों का प्रयोग, खाइयां खुदवा कर फाकों को दबाना और दरख्त की टहनियों द्वारा उनका विध्वन्स करना इत्यादि आग फेंकने वाली मशीनों द्वारा टिड्डियों के दल जलाये गये हैं। जनता के सहयोग से शीघ्रता से ज्यादा काम हो सकता है।

मैं आपकी आज्ञा से सदन के सूचनार्थ कुछ और निवेदन करना चाहूँगा। इस वक्त राजस्थान के दो हिस्से हैं। एक डेज़र्ट एरिया है, जिसको गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया लुकआफ्टर करती है और दूसरा जो कल्टीवेटेड एरिया है उसको राजस्थान सरकार लुकआफ्टर करती है। उस कल्टीवेटेड एरिया के २५८२ गांव टिड्डियों से इफेक्टेड हैं:

अलवर जिला	३५०
जयपुर जिला	८०८
भरतपुर	१००
नागौर जिला	४०२
गंगानगर	१३
टोंक	४६
उदयपुर	२६
सवाई माधोपुर	६
पाली	६००
सिरोही	१००
भीलवाड़ा	२०

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जोधपुर	११२

इनमें से जो क्लियर किये जा चुके हैं वे ये हैं।

अलवर	३५० में से	३००
जयपुर	८०८	४७५
भरतपुर	१००	१००
नागौर	४०२	२७५
गंगानगर	१३	१०
टोंक	४६	४६
उदयपुर	२६	२६
सवाई माधोपुर	६	५
पाली	६००	२००
सिरोही	१००	७५
भीलवाड़ा	२०	२०
जोधपुर	११२	१००

इस प्रकार जो गांव अफेक्टेड हुए हैं, मैं समझता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर टिड्डियों का आक्रमण कभी नहीं हुआ। कुछ जगहों के फिगर्स अभी आये नहीं हैं।

राज श्री हिम्मतसिंह—कोटा के कोई फिगर्स नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कोटा में पहुँची ही नहीं होंगी।

(हंसी)

राजश्री हिम्मतसिंह—तो क्या कोई विशेष कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप रक्षा कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—टिड्डियों के आक्रमण से फसल को नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में लगान की वसूली से राहत देने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी इस सम्बन्ध में निश्चित सूचना नहीं मिली है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हमने अलग २ जगह लिखा है कि हमें इत्तला दें कि किस किस जगह कितना नुकसान हुआ है और कितना असेस किया जा सकता है। इसकी रिपोर्ट आने पर नेसेसरी कार्यवाही की जावेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह है कि जयपुर डिविजन के शेखावाटी एरिया में फसलें करीब करीब बरबाद हो चुकी हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह सत्य नहीं है कि फसलें करीब २ बरबाद हो चुकी हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि पाली के इलाके में टिड्डियों के आक्रमण के भयंकर परिणाम हुए हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कुछ सही है। पाली इलाके में भयंकर टिड्डियों का आक्रमण हुआ है। लेकिन परिणाम इतना भयंकर नहीं कहा जा सकता कि फसलें बिल्कुल बरबाद हो गई हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बात यह भी हुई है कि स्कैयरसिटी ऑफ रेन भी हो रही है और टिड्डियों का आक्रमण भी हो रहा है। दोनों को मिला कर कुल रिज़ल्ट १०—१५ दिन में मालूम हो जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या खास तौर पर उस इलाके के अफेक्टेड किसानों के लिए लगान में रेमिशन की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सरकार के रेमिशन्स के सम्बन्ध में डेफिनेट नियम हैं।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि रेगिस्तान में, जैसा कि कहा गया है कि भारत सरकार टिड्डियों की सफाई का कार्य कर रही है, बहुत ज्यादा टिड्डियां आई और भारत सरकार ने कोई कन्ट्रोल नहीं किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उस इलाके में टिड्डियां काफी पड़ी हैं लेकिन कोई कन्ट्रोल नहीं हुआ, यह गलत है।

श्री खेतसिंह—मामूली किया है जो कि नहीं के बराबर है। इतनी भारी टिड्डियां पड़ीं कि उस इलाके में कम्प्लीट फेमीन हो गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वहां टिड्डियां जरूर ज्यादा पड़ी हैं, पर भारत सरकार इसके लिये पूरा २ प्रयत्न कर रही है। काफी हटा भी दी गई हैं। वह सिचुएशन को कन्ट्रोल कर लेगी। कोटा और बूंदी इलाके में हाथ मशीनें और जो सरप्लस मशीनें थीं उनको उधर डाइवर्ट कर दिया है ताकि वे वहां यूज़ हो सकें।

Page No.27

श्री संतोषसिंह कछवाहा—तहसील बिलाड़ा में भारत सरकार ने यह कार्य किया है या राजस्थान सरकार ने ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह राजस्थान सरकार में है। भारत सरकार में नहीं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—आपने जितने नाम बताये उनमें बिलाड़ा तहसील नहीं है। तो क्या वहां टिड्डियां आई ही नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने आपको जोधपुर जिले के लिए बताया है। उसमें बिलाड़ा तहसील भी आ जाती है। यह कल्टीवेटेड एरिया है।

श्री तनसिंह—राजस्थान के उत्तर पश्चिम में ठीक तरह से व्यवस्था नहीं होने से ये आई हैं क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सबसे पहले टिड्डियों का स्वागत करने का द्वार ही उत्तर पश्चिम है।

श्री कंवरलाल जेलिया—कोटा डिस्ट्रिक्ट में टिड्डियों का जो आक्रमण हुआ है उससे फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्या आपको मालूम है ?

श्री अध्यक्ष— This is a happy sign.

(हंसी)

श्री भोपालसिंह—क्या टिड्डियों के मारने के लिए जैनियों और ब्राह्मणों को भी बाध्य किया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कानूनन किया जा सकता है।

श्री भोपालसिंह—उनके धर्म के अनुसार वे कोई जीव हिंसा नहीं करते हैं; तो सरकार द्वारा उनको क्यों बाध्य किया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आम तौर पर उनकी भावनाओं का खयाल रखा जाता है। पर कानूनी तौर पर और इमर्जेन्सी के वक्त उनसे भी मांग की जा सकती है कि वे भी अपना हाथ बटावें।

श्री भोपालसिंह—किसी के धर्म पर कानूनी बन्धन नहीं होना चाहिये, तो फिर उनको क्यों बाध्य किया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—राजस्थान में इमर्जेन्सी के वक्त ऐसा कानून बनाया हुआ है और इससे अधिक क्या इमर्जेन्सी होगी कि जब टिड्डियों का आक्रमण हो और वे उसको सीरियसली न लें।

श्री भोपालसिंह—सरकार क्या दूसरा तरीका नहीं निकाल सकती है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री मोहम्मद हादी।

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—बाड़मेर तहसील में गांव वालों का पुलिस वालों ने कितने आदमियों का चालान किया ?

श्री अध्यक्ष—सैपरेट क्वेश्चन पूछिये।

प्रश्न संख्या १५०४

सांचोर तहसील में प्राईमरी, मिडिल तथा हाईस्कूलें खोलना

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सांचोर तहसील में कुल कितने स्कूल हैं जिनमें प्राईमरी, मिडिल और हाई स्कूल कितने २ हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि बाखासर व सेडवा पुलिस स्टेशन से करीब १५० गांवों में एक भी स्कूल नहीं है और हैं तो कहां २ हैं ? अगर नहीं हैं तो क्या कारण है ?

(ग) इस साल सरकार कितने स्कूल खुलवाने का इरादा रखती है और वे कब तक खुल जावेंगे ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) सांचोर तहसील में कुल २३ पाठशालाएं हैं, जिनमें एक माध्यमिक है और २२ प्राथमिक। हाई स्कूल कोई नहीं है।

(ख) नहीं। यह सही नहीं है। बाखासर व सेडवा पुलिस स्टेशन्स के अन्तर्गत जो गांव आते हैं उनमें से कुछ गांवों में स्कूल खुले हुए हैं।

जिन गांवों में स्कूल खुले हुए हैं अथवा जहां पर स्कूलें नहीं हैं उन गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) अभी यह निर्णय नहीं हुआ है कि इस वर्ष किस २ स्थान पर नये स्कूल खोले

[श्री भोलानाथ]

जावेंगे। नये स्कूल जन संख्या के आधार पर खोले जाते हैं। निर्णय करते समय आलासर व सैडवा पुलिस स्टेशनों के अन्तर्गत आने वाले गांवों में भी नये स्कूल खोलने के प्रश्न पर अवश्य ध्यान दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—नये स्कूल कब तक खोल दिये जायेंगे ?

श्री भोलानाथ—अक्टूबर के मध्य तक।

प्रश्न संख्या १५०५

गंगानगर तहसील में हरिजन नम्बरदार

श्री धर्मपाल पंवार—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर जिले में किस तहसील में कितने हरिजन नंबरदार हैं ?

(ख, क्या सरकार हरिजनों द्वारा नम्बरदारियां हासिल करने में कुछ प्रोत्साहन देती है ?

(ग) क्या गंगानगर जिले की किसी तहसील में किसी हरिजन नंबरदार के खिलाफ कलेक्टर के यहां कोई अपील भी चल रही है ? यदि हां, तो वह किसकी और उसका क्या फैसला हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) गंगानगर जिले में निम्नलिखित हरिजन नम्बरदार हैं:—

तहसील गंगानगर	३६
तहसील करनपुर	१४
तहसील पदमपुर	१५
तहसील रायसिंहनगर	५
तहसील सूरतगढ़	२
तहसील हनुमानगढ़	३
तहसील नोहर और भादरा	६

(ख) नम्बरदारों की नियुक्तियां उनकी लोकप्रियता और उपयुक्तता के आधार पर की

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जाती हैं। इसलिये अगर इस जाति के लोगों में ये गुण हों तो सरकार की यह नीति रहती है कि इनको नम्बरदार नियुक्त करके प्रोत्साहन दिया जाए।

(ग) चक ५८ एम० में नम्बरदारी के बारे में जिलाधीश के पास अपील पेन्डिंग थी जिसे अब असिस्टेन्ट कलेक्टर करनपुर के पास परावर्तित (रिमांड) किया गया है।

श्री धर्मपाल पंवार—इसका फैसला कब तक हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो असिस्टेन्ट कलेक्टर ही कह सकते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—इस इलाके में ऐसे कितने हरिजन नम्बरदार हैं जो डिसमिस किये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसकी सूची मेरे पास नहीं है क्योंकि सवाल जिस प्रकार का पूछा गया था उसके विपरीत आप सूचना चाह रहे हैं।

प्रश्न संख्या १५०६

शिक्षकों को शिक्षण पद्धति की ट्रेनिंग देने के लिए संस्थाएं

श्री शिवदानसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) शिक्षकों को शिक्षण पद्धति की ट्रेनिंग देने के लिये राजस्थान में कितनी संस्थाएं हैं ?

(ख) किस किस क्वालिफिकेशन के अध्यापकों के लिये कितने कितने विभिन्न स्कूल कॉलेज किस किस डिविजन में है ?

(ग) ऐसे स्कूल कालेजों की स्थापना किन किन डिविजनों में होनी चाहिये, क्या इसका औचित्य भी सोचा जाता है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) शिक्षकों को शिक्षा पद्धति की ट्रेनिंग देने के लिये राजस्थान में कुल १५ संस्थाएं हैं।

(ख) जिस २ डिविजन में ये संस्थाएं खुली हुई हैं व जिस २ क्वालिफिकेशन के अध्यापकगण इनमें ट्रेनिंग पा सकते हैं इसकी सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

[श्री भोलानाथ]

(ग) विद्या भवन टीचर्स ट्रेनिंग कालेज उदयपुर व विद्या भवन हैण्डी क्राफ्ट इन्स्टीट्यूशन उदयपुर तो ऐडेड हैं व दूसरी गवर्नमेंट संस्थाएं राजस्थान होने के पहले से चली आ रही हैं और जहां पर यह कार्य कर रही हैं वहां पर इनके भवन की उपयुक्तता एवं साज सज्जा को दृष्टिकोण में रखते हुए इनमें अदल बदल की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

(घ) यदि किसी समय कोई ऐसी नई संस्था खोलने की योजना होगी तो स्थान के चुनाव पर विचार किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या जिन अध्यापकों को जे. टी. सी. की ट्रेनिंग के लिये भेजा जाता है क्या उनको तनखा के अलावा कुछ अलाउन्स भी दिया जाता है ?

श्री भोलानाथ—नहीं।

श्री सोहनलाल भटनागर—उदयपुर डिविजन में कोई जे. टी. सी. के लिये सुविधा है या नहीं ?

श्री भोलानाथ—अभी मैंने सूची पढ़ी उसमें जे. टी. सी. के लिए स्कूल है।

श्री शिवदान सिंह—(ग) भाग का प्रश्न कि इसका औचित्य भी सोचा जाता है या नहीं, इसका उत्तर नहीं दिया गया।

श्री भोलानाथ—किन किन स्थानों पर किस किस प्रकार की संस्था खोलनी चाहिये, उसी बात पर विचार किया जाता है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—यह भी सुना है कि कोटा डिविजन से भी जे. टी. सी. की ट्रेनिंग के लिये उदयपुर जाते हैं ?

श्री भोलानाथ—यह भी सुना है कि जयपुर से भी जे. टी. सी के लिये उदयपुर जाते हैं।

कर्नल श्री दिलीपसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि जयपुर से उदयपुर कितने शिक्षार्थी गये ?

श्री भोलानाथ—संख्या मेरे पास अभी नहीं है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि उदयपुर डिविजन के टीचर्स जे.टी.सी. के लिये जोधपुर जाते हैं ?

श्री भोलानाथ—यह तो अलोटेड है हमारी स्कूलों में । जितने टीचर्स की संख्या मुकर्रर है उनमें जहां जिसका नंबर आता है उसको राजस्थान के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या जे. टी. सी. ट्रेनिंग की और स्कूलें खोलने का सरकार का विचार है ?

श्री भोलानाथ—अभी कोई विचार नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर—जूनीयर टीचर्स की तनख्वाओं को देखते हुए उनको एक डिवीजन से दूसरे डिविजन में भेजने में असुविधा होती है क्या उसके बारे में सरकार कोई नीति बनायेगी ?

श्री भोलानाथ—यह तो करना ही पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

कर्नल श्री दिलीपसिंह—क्या उदयपुर शहर से बाहर गांवों में भी इस प्रकार की स्कूलें हैं ?

श्री भोलानाथ—जयपुर के अलावा सब गांव हैं, पावटा; परसरामद्वारा आदि सब गांव है, आप उदयपुर शहर की बातें करते हैं।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या इस प्रकार के ट्रेनिंग स्कूल्स उदयपुर के गांवों में खोलने का सरकार का विचार है ?

श्री भोलानाथ—गांवों में आगे ही दूसरी जगह बहुत हैं।

श्री शिवदान सिंह—क्या आपने परसरामद्वारा जाकर कभी वहां के विद्यार्थियों के रहने की क्या स्थिति है, यह देखा है ?

श्री भोलानाथ—नहीं।

प्रश्न संख्या १५०७

गंगानगर कोलोनी में पटवार की दर तथा वसूली

श्री मोतीराम सारन—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर कोलोनी में पटवार किस तरह से और कितनी वसूली होती है ?

(ख) क्या पटवार की जो रकम इस तरह वसूल होती है वह सारी पटवारियों को तनख्वाह के रूप में दे दी जाती है ?

[श्री मोतीलाल सारन]

(ग) अगर पटवार से वसूल की हुई रकम बचती है तो सरकार उस बची हुई रकम का क्या करती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(क) गंगानगर कैनाल कोलोनी में पटवार सैस, लगान और आबियाना एक आना फी रुपया के हिसाब से वसूल की जाती है। सन् ५३-५४ के वर्ष में ३,३८,१५४) रुपये पटवार सैस के वसूल हुये और बारानी क्षेत्र द्वारा ४१,८५६ रुपये वसूल हुए।

(ख) इस जिले की पटवार सैस द्वारा कुल आय ३,८०,०२३) रुपये है जिसमें से २,६४,०००) रुपये पटवारियों के वेतन आदि पर व्यय होता हैं।

(ग) जिले की पटवार सैस की कुल आय की रकम में से नहरी और बारानी क्षेत्र में पटवारियों का खर्चा चलाया जाता है। कभी कभी बारानी क्षेत्र में अकाल स्थिति के कारण लगान के साथ पटवार सैस की भी छूट देनी पड़ती है। परन्तु पटवारियों पर होने वाले व्यय में कमी नहीं आती। इसलिये इस रकम में बचत का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री मोतीराम—मैंने तो कोलोनी इलाके के बारे में पूछा था, आपने बारानी का सैस बता दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसमें कुछ कुछ बारानी का हिस्सा भी रहता है।

श्री मोतीराम—नहरी इलाके में पटवार सैस के रूप में जो रकम वसूल होती है, क्या वह सब उनकी तनख्वाह में खर्च होती है और जो बचती है क्या उसे दूसरे काम में लेते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने अर्ज किया कि गंगानगर तहसील में बारानी इलाका भी है; अनूपगढ़ में है, करनपुर में है, इस तरह से कुछ नहरी इलाके के साथ साथ बारानी इलाका भी जुड़ा हुआ है और इसी आधार पर आंकड़े दिये गये हैं। यह केवल नहरी फीगर्स ही नहीं हैं। इससे मालूम होगा कि इसमें इस तरह से जमा और खर्च बराबर हैं।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु—सैस तो ली ही जाती है किन्तु वहां पटवार सैस के नाम से जो नई सैस वसूल की जाती है, वह क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह नई नहीं लगाई गई है। पहले से ही चली आ रही है।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु—क्या यह सैस सन् ४७ के असेसमेन्ट रिपोर्ट के खिलाफ है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह किस वक्त से चालू है पता नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह मन्धु—मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपने सन् ४७ की असेसमेन्ट की रिपोर्ट देखी है, जिसकी मुताबिक कि पटवार सैस लगाने का कोई अधिकार नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूँ कि वहां तो ऐसी कोई बात नहीं है और अगर ऐसा क्लाज़ है उसमें, तो माननीय सदस्य मेरी जानकारी में उसे ला सकते हैं और मैं नियम के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा, यह मैं उनको कह सकता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार अब इस सैस को बन्द करने के बारे में सोच रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—बिल्कुल नहीं सोच विचार कर रही है।

श्री मोतीराम—क्या यह पटवार मलबे के रूप में वसूल होती थी किसी जमाने में ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—किसी जमाने की बात का मुझे पता नहीं।

श्री मोतीराम—अब भी क्या यह मलबे के रूप में वसूल होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मलबे-अलबे के रूप में तो मैं जानता नहीं, मैं तो पटवार सैस के रूप में इसे जानता हूं। इसके अलावा और जानकारी मुझे नहीं है।

श्री मोतीराम—क्या यह पटवारी मुलाजिम थे, उनके लिए मलबा के रूप में यह लाग लगाई गई उनको तनख्वाह देने के लिए ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने अर्ज किया कि मुझे इस बारे की जानकारी प्राप्त नहीं है।

श्री मोतीराम—इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद तो यह मलबा माफ कर देंगे ? (हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जानकारी कर लूंगा, माफ करने की बात नहीं कहता।

श्री मोतीराम—जो एक बेजा लाग लगाई गई हो तो क्या उस बेजा लाग को हटाने का यकीन सरकार की ओर से नहीं दिलाया जा सकता ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पूरी तरह से इस बात का यकीन होने के बाद हो कि यह वाकई में बेजा है, कुछ विचार किया जा सकता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या लाखों रूपया पटवार के नाम पर वसूल करने पर अब भी इसे बन्द करने पर सोचने का सरकार इरादा रखती है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो जवाब दे दिया गया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस प्रकार की सैस दूसरे हल्कों में भी ली जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—हां कुछ जगहें और भी हैं, जयपुर डिविजन में भी हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या राजस्थान में यूनीफार्मिटी लाने के लिये थोड़े से हल्कों में जो यह डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हटाने पर सरकार कुछ विचार करती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह प्रश्न खुद में अलग नहीं है । इसमें और भी प्रश्न शामिल हैं ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—आबियाने की दर अभी अभी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, ऐसी स्थिति में इस पटवार सैस को हटाने का सरकार विचार करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—उसका इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री मोतीराम—पंचायत एक्ट पास होने के बाद क्या पटवार सैस की रकम पंचायतों को दी जावेगी ?

श्री अध्यक्ष—किसको दी जावेगी; क्या दी जावेगी, आप देख लीजिये पंचायत एक्ट में ।

नेक्स्ट । श्री शिवदानसिंह ।

श्री मोतीराम—इसके आगे थोड़ा और पूछना है साहब ।

(हंसी)

क्या यह पटवार सैस पंचायतों के अन्डर में जहां होगा वहां क्या यह पटवार फंड पंचायत को दे दिया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं, इसके बाद क्या होगा इसकी कल्पना करके नहीं चलता । मैं तो जो वस्तुस्थिति इस वक्त है उसकी बात करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री शिवदानसिंह ।

प्रश्न संख्या १५०८

राजस्थान में जे. टी. सी. ट्रेनिंग की संस्थाएं

श्री शिवदानसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री शिवदानसिंह]

(क) राजस्थान में जे. टी. सी. ट्रेनिंग के इन्सट्रीटयूशन कहां कहां हैं ?

(ख) प्रत्येक सेन्टर में कितने कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ?

(ग) क्या यह सहीं है कि जयपुर के अकेले एक सेन्टर में ८० प्रतिशत संख्या उदयपुर से आये हुए शिक्षक विद्यार्थियों की है ?

(घ) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष भी इन शिक्षालयों में जयपुरिया की अपेक्षा दूसरे डिविजन से आये हुए विद्यार्थियों की संख्या विशेष रही है ?

(ङ) क्या इन सभी सेन्टर्स को जयपुर और इसके इर्द गिर्द रखने में सरकार को कोई विशेष सुविधा है ?

(च) क्या सरकार इन सभी सेन्टर्स को डिविजन वाइज़ कर देने की सोच रही है ?

(छ) गत दो वर्षों में इस काम के लिये सरकार को कितनी टी. ए. रकम खर्च करनी पड़ी है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या १५०६ में आ जाता है।

(ख) संख्या निम्नलिखित है :

(१)	जयपुर (फीमेल)	१००
(२)	परसरामपुरा (जयपुर)	१००
(३)	गोनेर (जयपुर)	६०
(४)	पावटा (जयपुर)	१००
(५)	जोधपुर (फीमेल)	५०
(६)	जोधपुर (मेल)	१२५
(७)	अलवर	१००
(८)	भरतपुर	१००
(९)	सवाई माधोपुर	१००
(१०)	कोटा	१००

(ग) जयपुर व उसके आस-पास ३ जे. टी. सी. स्कूल परशुरामद्वारा, जयपुर, पावटा व गोनेर में हैं। उदयपुर के ८० प्रतिशत शिक्षक विद्यार्थी केवल एक स्कूल में हीं ट्रेनिंग पा रहे हैं। गोनेर और पावटा में नहीं भेजे गये।

[श्री भोलानाथ]

(घ) जयपुर व उसके आस पास के तीनों जे. टी. सी. स्कूलों में गत वर्ष २७० शिक्षक विद्यार्थियों ने ट्रेनिंग पाई, जिसमें से १७४ विद्यार्थी दूसरे डिविजन के थे व ९६ जयपुरियन थे।

(ङ) ये सब सेन्टर्स केवल जयपुर व उसके इर्द गिर्द ही नहीं हैं, परन्तु ये जोधपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर व कोटा में भी हैं और ये सब राजस्थान होने के पूर्व से चले आ रहे हैं। जहां पर यह कार्य कर रहे हैं वहां पर इनके लिये भवन व साज सज्जा आदि की सुविधाएं प्राप्त हैं अन्य स्थानों में नहीं।

(च) डिविजनों में अधिक सेन्टर्स खोलने का अभी कोई विचार नहीं है।

(छ) गत दो वर्षों में इन शिक्षालयों में ट्रेनिंग पाने वाले शिक्षक विद्यार्थियों पर जो रकम टी. ए. पर खर्च हुई है उसका पूरा व्यौरा अभी प्राप्त नहीं हो सका।

श्री शिवदानसिंह—जिन डिविजनों में एक भी नहीं है उनमें भी आप खोलेंगे?

श्री भोलानाथ—नहीं, जिस डिविजन से आपका मतलब है उसमें ३ स्कूल और कॉलेज इन्स्टीट्यूशन्स हैं। इसलिये यह विचार ही पैदा नहीं होता।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि जो शिक्षण केन्द्र खुले हुए हैं वे असुविधाजनक हैं?

श्री भोलानाथ—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, प्रश्न संख्या १५०६

श्री शिवदानसिंह—सप्लीमेन्ट्री और करना है साहब।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य खड़े हुआ करें फिर फौरन।

श्री शिवदानसिंह—क्या यह सही है कि मन्त्री महोदय ने गत दो वर्षों से उदयपुर में भी जे. टी. सी. खोलने का आश्वासन दिया था?

श्री भोलानाथ—नहीं, कभी नहीं।

श्री शिवदानसिंह—क्या सरकार डिविजन वाइज़ ऐसी स्कूलों के खोलने के लिए विभाजन करने का विचार करती है?

श्री भोलानाथ—क्या कहा आपने?

श्री अध्यक्ष—डिविजन वाइज़ खोलने का विचार रखती है क्या सरकार ?

श्री भोलानाथ—वर्तमान व्यवस्था बहुत सुन्दर है। इसमें और हेर फेर करने की आवश्यकता नहीं।

श्री शिवदानसिंह—अलवर के पास है इसलिए सुन्दर मानते हैं क्या आप ?

श्री भोलानाथ—माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिये कि उदयपुर में तीन प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स हैं; बेसिक है, बी. एड. है और क्राफ्ट्स है और इनमें बहुत सुन्दर काम हो रहा है।

श्री शिवदानसिंह—यह तो उदयपुर का महत्व बढ़ाने के लिए आपने नहीं खोली हैं, पर विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से खोली हैं पर; जे. टी. सी. नहीं होने से विद्यार्थियों को असुविधा होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या राजस्थान सरकार मन्त्रियों की ट्रेनिंग के लिए भी स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष—No, no. Next

प्रश्न संख्या १५०६

जनवरी, १६५४ के पश्चात् खरीदी गई मोबाइल वर्कशॉप की गाड़ियां तथा उनके मेक के टेन्डर

श्री जवानसिंह—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या माह जनवरी सन् १६५४ के पश्चात् कोई मोबाइल वर्कशॉप की गाड़ियां खरीदी गईं ? अगर हां, तो कितनी और किससे ?

(ख) उन मोबाइल की गाड़ियों के चेसिस के लिए किस मेक के टेन्डर मांगे गये थे ? और किस मेक के प्रस्तुत किये गये और आफर देने वाले कौन कौन थे ?

(ग) क्या उपरोक्त ऑफर परचेजिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत हुए थे ? अगर हां, तो उसकी सिफारिश क्या थी ?

(घ) क्या उपरोक्त गाड़ियां जो खरीदी गईं, वे शुरू में ऑफर किये मेक की ही थीं या दूसरे मेक की ?

(ङ) अगर टेन्डर के अलावा दूसरी गाड़ियां खरीदी गईं तो क्या उनके लिए दुबारा टेन्डर मांगे गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No.39

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) माह मार्च सन् १९५४ को कृषि विभाग ने दो मोबाइल वर्कशोप की गाड़ियां मेसर्स यूनाइटेड मोटर्स ऑफ राजस्थान, जयपुर से खरीदीं।

(ख) टेन्डर में किसी विशेष चैसिस के लिए उल्लेख नहीं किया गया था, इस कारण अलग अलग कम्पनियों ने विभिन्न मेक के टेन्डर पेश किये। सात विभिन्न निम्न कम्पनियों ने इसके लिये टेन्डर प्रस्तुत किये।

१. मेसर्स यूनाइटेड मोटर्स ऑफ राजस्थान

२. मेसर्स न्यू एम्पायर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन

३. मेसर्स वल्कन ट्रेडिंग कम्पनी

४. मेसर्स मारशल एण्ड संस।

५. मेसर्स लारसन एण्ड टोब्रो

६. हरमन एण्ड मोहता

७. जयपुर मशीनरी मार्ट

(ग) हां। कमेटी की सहमति से ही यूनाइटेड मोटर्स से खरीदे गये।

(घ) दूसरे मेक की।

(ङ) क्योंकि टेन्डर में किसी मेक का उल्लेख नहीं था इस कारण दुबारा टेन्डर मंगने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—यह चैसिस कितने कितने टन के थे ? कैपिसिटी क्या थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—५ टन।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रघुराजसिंह (वि० सं० १२) ने दिनांक १४ अगस्त, १९५४ से दिनांक २४ अगस्त, १९५४ तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

Yes, amendment by the Chief Minister.

विधान सभा के कार्य-विवरणों के शीघ्र मुद्रण हेतु मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—विधान सभा की कार्यवाही छपने के सिलसिले में जिस वक्तव्य के लिए मैंने वचन दिया था वह वक्तव्य अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं :—

इस वक्त गवर्नमेन्ट प्रेस में छापने की गुंजाइश प्रतिमास एक हजार छपे पृष्ठों की है। इस तरह वार्षिक छपाई १२ हजार छपे पृष्ठों की होती है।

इस वक्त गवर्नमेंट प्रेस में ओटो कम्पोजर्स मशीनों की संख्या २, मोनो मशीन व लीनो मशीन की एक एक है।

इस गुंजाइश के मुकाबले में वार्षिक छपाई नीचे लिखे मुताबिक हो रही है।

(१) गजट	६ हजार छपे पृष्ठ
(२) बजट	१ हजार छपे पृष्ठ
(३) और विविध छपाई	३ हजार छपे पृष्ठ

बकाया दो हजार छपे पृष्ठों की गुंजाइश रहती है जिसके मुकाबले में सन् १९५३ में ६७३० फुलसकेप टाइप किये हुए पृष्ट विधान सभा की कार्यवाही के प्राप्त हुए थे। इनमें से २१२१ पृष्ठ छाप दिये गये हैं। इसके अलावा ८८७ पृष्ठों एप्रूव्ड प्रूफ प्राप्त हुए हैं। इनकी छपाई भी एक हफ्ते के अन्दर हो जायगी। उम्मीद की जाती है कि विधान सभा का चालू सैशन समाप्त होने के बाद ३ माह में विधान सभा की तमाम कार्यवाही की छपाई समाप्त हो जायगी। सैशन के दौरान में कार्यवाही की छपाई का काम मुश्किल रहता है क्यों कि विधान सभा के रोजमर्रा के काम को प्रथम स्थान देना पड़ता है।

बकाया काम चढ़ जाने की जो शिकायत है उसका मुख्य कारण यह है कि मौजूदा मशीन की गुंजाइश सीमित है और छपाई का काम बढ़ता जा रहा है। छापेखाने की गुंजाइश बढ़ाने की गर्ज से डबल शिफ्ट सिस्टम शुरू कर दिया गया है और दो नई मोनों मशीनों का आर्डर भी दे दिया गया है। ये नई मशीनें आगामी मास तक आ जावेंगी जिनसे कि छपाई कि गुंजाइश बढ़ जायेगी, जिससे आइन्दा विधान सभा की कार्यवाही वक्त पर छपने की उम्मीद की जाती है। यदि इस पर भी छपाई में कोई दिक्कत हुई तो विधान सभा की कार्यवाही दूसरे प्रेसों में छपाने कि अनुमति दे दी जायगी।

विधायी कार्य

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३ (अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श)

खण्ड २७

श्री अध्यक्ष—Amendments by Shri Jawan Singh.

कई माननीय सदस्य—कौनसी क्लॉज़ ?

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ २७ ।

श्री जवानसिंह—No, sir, I have not moved.

श्री अध्यक्ष—You do not want to move or you have not moved ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—What is going to happen to the postponed clauses ?

श्री अध्यक्ष—They will also be taken. (श्री जवानसिंह से) Have you been able to locate ?

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैंने अपने जो संशोधन दिये हैं उनमें से संशोधन नं० १० प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—9th ?

श्री जवानसिंह—No, sir, I want to move No. 10. The words "female" be substituted for the word "widow" occurring in line 3.

श्री अध्यक्ष—No, no. Clause 27 is under consideration.

श्री जवानसिंह—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—And there were three amendments, one by Shri Vedpal Tyagi, the second by Shri Mathura Das Mathur and the third by Shri Jawan Singh......

श्री जवानसिंह—This is the third.

श्री अध्यक्ष—But Serial No. 9.

श्री **जवानसिंह**—The words "from whom she inherited" be substituted for the words "in accordance with......she is subject" occurring in......

श्री **अध्यक्ष**—Yes. "she is subject".

श्री **जवानसिंह**—इस धारा में वास्तव में और भी संशोधन प्रस्तुत हुए हैं और उनके साथ साथ मैंने भी अपना संशोधन प्रस्तुत किया है जोकि मैं मूव नहीं कर रहा हूं बल्कि मुझसे पहले जो संशोधन हो चुके हैं उनके सिलसिले में अपना निवेदन करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष, अब इस बात को, जब कि हम यहां पर यह तय करने जा रहे हैं कि स्त्रियों और पुरुषों के जमीन के सिलसिले में क्या अधिकार होने चाहिए; पुरुषों को खातेदारी हक मिलने चाहिए, सबटेनेन्सी के हक मिलने चाहिए, गैर खातेदारी के हक मिलने चाहिए और उसके साथ साथ टीनेन्ट्स को खुदकाश्त के हक मिलने चाहियें, इस पृष्ठ भूमि में, माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक पुरुषों का सवाल आता है उनके हक समान रखे हैं और जहां तक स्त्रियों का सवाल आता है, हमने यह हमेशा आवाज लगाई है और नारा बुलन्द किया है कि स्त्रियों और पुरुषों के बराबर समान हक होने चाहिये, लेकिन यहां पर जब कानून के तहत में हम उनको अधिकार देने की बात कहते हैं तो एक दूसरी चीज पाते हैं। जिस बात के लिए हमने नारा लगाया है, और जिस बात के लिए जोर दिया है कि औरतों और पुरुषों को बराबर के हक मिलने चाहिए वे हक इन नारों को देखते हुये बराबर नहीं मालूम होते हैं। वैसे सदियों से चाहे जो भारतीय परम्परा रही हो, औरतों को पुरुषों के मुकाबले में इतना स्वतन्त्र नहीं रक्खा है, लेकिन उस परिस्थिति को हमें इस वक्त सोचना है कि क्या अब तक जो रूढ़िया चली आ रही हैं उन रूढ़ियों का जारी रहना ठीक है या उनमें सुधार करना जरूरी है। अगर हमारा विधान जो कि हमारे लिए पूजनीय वस्तु है वह वक्त वक्त पर हमको कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है या किसी गलत काम को करने से रोकता है तो जहां तक उसमें अधिकारों का समावेश है वहां तक हमको यह बात स्पष्ट रूप से मालूम होती है कि हमारे यहां स्त्रियों और पुरुषों पर, स्त्री और पुरुष होने के नाते कोई सीमा नहीं लगाई है, किसी तरह का बन्धन नहीं लगाया है, और जब उनको हमने अपने विधान में बराबर के अधिकार दिये हैं तो क्या वजह है कि जिस काश्तकारी कानून को आप पास करने जा रहे हैं उसमें दोनों को बराबर अधिकार नहीं हों। जहां पुरुषों का सवाल आता है वहां उसको हम बिना किसी हिचकिचाहट के हर प्रकार का अधिकार दिये चले जा रहे हैं, लेकिन जहां स्त्रियों का सवाल आता है वहां हम कहते हैं कि उसका इन्टरेस्ट उस जमीन में उसके पति की जिन्दगी भर तक के लिए हो सकता है। यह नहीं होकर, उसके बाद भी होना चाहिए, जिस तरह आदमी का अपनी जायदाद के ऊपर होता है। वह आदमी तो जिन्दगी भर के लिए अख्तियार रखता है। उसके मरने के बाद जो उसका सक्सेसर होता है इनहेरीटेन्स कानून के अनुसार, तो फिर क्या वजह है कि स्त्रियों का भी उनकी जमीनों के ऊपर वैसा अधिकार न मिले। जिस प्रकार बाप की जायदाद पर बेटा हक प्राप्त करता है उसी प्रकार लड़कियों को भी बाप की जायदाद में, जमीन में वही हक मिलना चाहिये। अगर इस बात को हम मानलें तो फिर मेरा खयाल है कि बहुत सी उलझनें हमारे सामने से हट जायेंगी और लड़की को भी वही अधिकार देंगे

[redacted]

[श्री जवानसिंह]

जो कि लड़के को उसके बाप की जमीन पर देते हैं। स्त्रियों को अगर सबल बनाना है और उनको इस काबिल बनाना है कि केवल पुरुषों के भरोसे पर जिन्दा नहीं रहें, केवल पुरुषों के भरोसे पर अपनी जिन्दगी का खयाल नहीं करें, तो स्त्रियों को, स्त्री समाज को स्वावलम्बी बनाना पड़ेगा और स्वावलम्बी बनाने के लिए साधन जुटाने पड़ेंगे और उन साधनों में से यह एक आवश्यक साधन है जिसके लिए कि, माननीय चेयरमेन महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमने स्त्रियों के संबंध में इस तरह की रोकटोक लगा रखी है कि जिसकी वजह से आज वे आगे नहीं बढ़ पातीं हैं। अगर लड़कियों के साथ विवाह होने के पहले किसी तरह की कोई बात होती है तो उसके लिए सारा संसार विरुद्ध हो जाता है और उसकी जिन्दगी खत्म कर दी जाती है और अगर वह स्त्री विवाहित हुई और उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उल्टा-सीधा व्यवहार हो जाय तो उसके लिए कोई जरिया नहीं रहता है, सिवाय इसके कि किसी गहरे कुए में वह डूब जाए या वह अपने आपको खत्म कर दे दूसरे तरीकों से। माननीय उपध्यक्षजी, यह प्रश्न इसलिए पैदा होता है कि उसकी खुद की जिन्दगी बसर करने के लिए उसके पास कोई सहारा नहीं रहता। उस सहारे के नहीं होने के कारण वह अपने को एक पुरुष के भरोसे पर ही पाती है। इसलिए यह प्रोवीजन इस काश्तकारी कानून की धारा में रख देना चाहिए जिससे कि लड़कियों के लिए और औरतों के लिए अधिकार दे दिये जाएं जो कि एक आदमी को दे दिये जाते हैं। इससे मेरा खयाल है कि स्त्रियां कुछ स्वावलम्बी हो जायंगी। माननीय चैयरमेन, एक ऐतराज पैदा किया जा सकता है कि लड़की या औरत इस काबिल नहीं है कि वह जमीनों को जोत सके और काश्त कर सके और उससे फायदा उठा सके। यह केवल एक कल्पना की बात है। जब स्त्रियों को समान अधिकार दिये गये, उसके पहले यही आवाज कुछ उन पुरुषों ने उठाई थी जो स्त्रियों को समान अधिकार नहीं दिलाना चाहते थे, और जो यह कुतर्क दे रहे थे कि चूंकि स्त्रियां इस काबिल नहीं हो सकतीं इसलिये उनको समान अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये; माननीय चेयरमेन महोदय, अंग्रेजों ने भी हमारे सामने कुछ ऐसा ही प्रश्न खड़ा किया था जिस वक्त कि हमको स्वतन्त्रता देने का सवाल आया था! उन्होंने कहा था कि आप लोग इस काबिल नहीं हैं कि आपको स्वतन्त्रता दी जाय, जिस दिन काबिल बन जाओगे उस दिन स्वतन्त्रता दी जा सकेगी।

चेयरमेन महोदय, इसलिए स्त्रियों में यह हिम्मत नहीं है कि वह काश्त कर सकें, खेती करके फायदा उठा सकें; यदि यह सवाल इन स्त्रियों के सामने इस वक्त पैदा किया जाय तो वे बड़ी परेशान होंगी। यदि जमीन से पुरुषों को और उनके लड़कों को इतना फायदा उठाने का हक है तो मैं निवेदन करूंगा कि स्त्रियों को इस प्रकार का हक क्यों न दिया जाय? स्त्रियों के इन्ट्रेस्ट को जो लिमिटेड कर दिया गया है और जो प्रतिबन्ध लगाया गया है यह स्त्रियों के लिये ठीक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का प्रतिबन्ध नहीं रखा जाय। उनको अपनी जमीन पर काश्त करवाने का सुभिता देना होगा, उनको सबल बनाने में सहायता देनी होगी और वह सहायता आज जब हम कानून बना रहे हैं तब उसकी धाराओं द्वारा देना बहुत उचित होगा। इससे हमारी

[श्री जवानसिंह]

समाज वास्तव में ऊंची उठेगी और स्वावलम्बी बनेगी और स्त्री समाज पर फिर किसी तरह का इशारा या शंकाएं पैदा करने का कोई सवाल नहीं रहेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि औरतवर्ग को इस तरह के सक्सेशन का हक होना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Which amendment you have moved?

श्री जवानसिंह—I have not moved any amendment. I have spoken on Clause 3 : the amendment regarding the substitution of the word "woman".

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Supporting it or opposing it ?

श्री जवानसिंह—Opposing it.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Without supporting the original clause?

श्री जवानसिंह—No, Sir.

श्री सभापति—He wants deletion of this clause.

एक माननीय सदस्य—He wants distinction between male and female.

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose the amendment put forward by Mr. Mathur and to support Mr. Jawan Singh who just now so eloquently described the condition of women in our country. Today when the women are feeling themevles free to a great extent, if amendments are a reflection upon times or of progress or otherwise, then this amendment put forward by Shri Mathur takes us back to the days of the 18th or 19th century when man laboured hard to device ingenous laws with a view to suppress women-folk from claiming their rightful status in society. It was a time when the proud feudal aristocracy kept their women cribbed, cabined and confined within the fourwalls of their castles. But in this scientific age of ours, such amendments have outlived their utility. Today we do not prosecute scientists for practising witchcraft. Our history abounds in rich instances of immortal sacrifices of our women-folk. On the other hand, it also abounds in instances where man-kind has all throughout denied to them the right to possess property. While they have all throughout fought for the claims of freedom and kept the torch of freedom burning, we have denied to them their rightful status. By their

[श्री श्रीभानसिंह]

significant co-operation and help we achieved our political freedom in 1947. It was their co-operation and their help, but Mr. Speaker, Sir, it is one of the most unfortunate things that now the women-kind or women-folk have withdrawn their co-operation in the economic and social battle. In the free political India, women have withdrawn their co-operation because men try to dominate them and to shatter their hopes and thair aspirations to free themselves socially and economically If we want to make progress in economic and social sphere it is very essential that we must enlist their co-operation. We cannot enlist their co-operation by pretending to be just under the cover of 'personal law.

After all I will take this House to the Preamble of our Constitution in which the people have given unto themselves the rights of liberty, equality, fraternity and to justice, and to us, their representatives, the duty of defending the sacred rights to the last drop of our blood. But I will pose certain questions to this House, whether this amendment emphasising the words "personal law" is in agreement, is in consonance with the terms of our Preamble. Is this amendment in agreement with the fundamental right to possess and dispose of property ? Not only this, I will ask anothe question. Does this amendment treat men and women on footing of equality as far as land is concerned ? Mr. Speaker, Sir, my humble answer is in the negative, because while it confers all proprietory rights on the male tenant, it circumscribes the right of the women, by the use of the term 'personal law'. These words like 'limited interests' are already against the interests of the women who enthusiastically contributed to the political freedom, who played a very significant role in the battle for freedom because such terms as 'personal law' circumscribe their right regarding land, regarding transfer, regarding gift and regarding sale. Only this term 'personal law' creates a difference between a Hindu woman and a Mohammedan woman because the two laws of these two communities are different.

Thirdly when the question of marriage and re-marriage arises, a woman who has landed property cannot keep her property. Their right to dispose of, to possess and enjoy the fullest right of property is limited by the use of the term 'personal law'. This is, Sir, a provision which may apply to the by-gone days when the policy of the Government, the only policy of Government was the policy of laissez faire and the policy of maintaining the status quo. But now it is our only chance that we can rectify our mistakes, it is now that we may apply to them laws of equality and treat them on an equal footing with men. It is only when we confer on them the rights of property, it is only when we give them the rights of equality and justice, that we can claim their fullest support and co-operation. It

[श्री श्रीमानसिंह]

is only then that they will contribute to the peace and prosperity of our unit and our nation. This is the only chance that we can rectify our mistake,but if you fail in that and if you continue to deny to them their right,you cannot for long suppress them. There will be a time when they will wrest from you the right to possess property They will demand from you equality and justice and would show to the coming generation that you tried to sweep back the oceanic tides of progress rather than carry them forward.

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—श्री श्रीदास गोयल ।

(अनुपस्थित)

(श्री वेदपाल त्यागी से) You can speak and support any amen dment. You waived your right of moving your amendment.

श्री वेदपाल त्यागी—I will speak.

माननीय चेयरमैन महोदय, मैंने भी इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में अपना एक संशोधन पेश किया है जो शायद मैं इस क्लॉज पर पेश न कर सकूं क्योंकि वह २६ वे क्लॉज़ से सम्बन्धित था, पर चूंकि इस पर सदन में चर्चा चल रही है इसलिए मैं अपने विचार प्रवश्य प्रकट करना चाहूँगा ।

सक्सेशन का जहां तक सम्बन्ध है यह सिद्धान्त यहां माना गया है कि हमारे टीनेन्ट्स का सक्सेशन अधिकार परसनल लॉ से गवर्न होगा । मेल टीनेन्ट्स के लिए क्लॉज़ २६ जो हमने एडोप्ट किया उसमें यह रखा है कि सक्सेशन परसनल लॉ के मुताबिक होगा ।

जहां तक फीमेल टीनेन्ट का ताल्लुक है वहां रेस्ट्रिक्शन लगाई है, जिसके लिए मेरे मित्र जवानसिंह जी ने और अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में इक्वल राइट्स के लिये प्रीएम्बल रखा है, उस पर एक तरह से कुठाराघात करता है । यह सही है कि जब हम इस सिद्धान्त को मान रहे हैं कि टीनेन्ट्स के ऊपर सक्सेशन परसनल लॉ के मुताबिक लागू होगा; वीमेन होंगी तो उनके मरने के बाद परसनल लॉ क्लॉज़ २८ में रखा है, पर २७ में वीमेन टीनेन्ट्स के ऊपर पर्स-नल लॉ की रोक लगाई है । इस रोक के साथ ऐसी बात इसमें रख दी है कि अगर वह शादी कर लेगी तो उसका हक इस टीनेन्सी में से गायब हो जायगा । मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि एक प्रोपर्टी जब किसी को प्राप्त हो जाती है तो बाद में सिर्फ इसलिए कि उसने शादी कर ली है, उससे उसे महरूम कर दिया जाय, इसे कोई कानून जानने वाला आदमी मंजूर नहीं करेगा ।

सोसाइटी में व्यभिचार ज्यादा न फैले, इसलिए शादी की प्रथा हमारे चलाई गई । तो शादी करने पर यह दंड दिया जाय कि अगर फीमेल टीनेन्ट शादी कर लेती है तो वह तमाम प्रोपर्टी से हाथ धो बैठेगी, तो इसका परिणाम भयंकर होगा ।

[श्री वेदपाल त्यागी]

मैं ज्यादा न बोल कर, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्लॉज़ पर इस रूप में विचार किया जाय कि वीमेन टीनेन्ट्स के सक्सेशन के अधिकार की क्लॉज़ बनायें तो वीमेन टीनेन्ट्स के ऊपर इस तरह की रोक नहीं लगाई जाय कि अगर वह शादी कर ले तो उसके सारे प्रोपर्टी राइट्स खत्म हो जायेंगे। लिहाजा मैं इस अमेंडमेंट की जरूरत महसूस नहीं करता।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मिस्टर चेयरमेन सर, क्लॉज़ २७ जो मौजूदा स्थिति में है, मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि इसको सपोर्ट करूं और इसमें कोई तरह की तब्दीली नहीं करने दूं।

जब कि हमने यह अधिकार मान लिया कि सक्सेशन परसनल लॉ से गवर्न करेगा तो हिन्दू लॉ के मुताबिक वीमेन लिमिटेड इन्ट्रेस्ट्स की हकदार होती हैं; तो इस कानून में सक्सेशन परसनल लॉ से गवर्न होगा तो कोई दूसरा कानून हमारे इस सक्सेशन में अड़ंगा न डाले।

एक आपत्ति श्री त्यागी जी ने उठाई है कि एक औरत को शादी करने पर जो हक उसे पहले से मिला हुआ है उससे वह क्यों डाइवेस्ट हो। मैं समझता हूं कि इसमें एक प्रोविजो और एड कर दिया जाय कि उसके भावी पति या जो पति हो चुका है उसी गांव में रहे, उस क्लॉज़ को एबंडन नहीं कर सकता, वह औरत पति को अपने यहां रखे तो डाइवेस्ट नहीं होना चाहिये।

श्री जवानसिंह—शादी के बाद भावी पति कौनसा होता है।

श्री कपिलदेव—शादी के पहले साहब। अब भी हमारे यहां ऐसा रिवाज है कि औरत नाते पर जाती है, उसी तरह मर्द भी औरत के यहां घर जंवाई रहते हैं, यह सही बात है। आपके उधर ऐसा नहीं होगा तो पता नहीं,हमारे यहां तो ऐसा रिवाज है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हमें माननीय सदस्य को देख कर ही इस बात की तसल्ली है कि इस तरह का रिवाज आपके यहां होगा।

(हंसी)

श्री कपिल देव—एक मौका तो आया भाई।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय अगर मानें तो एक प्रोविजो इसमें एड कर देना चाहिये कि मैरेज के बाद स्त्री और हस्बेंड अगर वहीं रहते हों और वहीं काश्त करते हों तो वहां औरत का हक खत्म नहीं होगा।

लिमिटेड इन्ट्रेस्ट्स से ज्यादा नहीं होना चाहिये, नहीं तो घर घर में, ऐसा होने से, झगड़े पैदा हो सकते हैं। आज एक जमीन एक फीमेल सक्सेसर की एक गांव में है,

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

उसका पति मर गया, उसकी दुबारा शादी हो जाती है और वह अपने इस पति के साथ दूसरे गांव में चली जाती है और ऐसी सूरत में उसकी टीनेन्सी कायम रहती है तो वह आकर काश्त नहीं कर सकते, दूसरी जगह पति के साथ चली जाती है तो दूसरों के मार्फत काश्त करायेगी और हमारे इस एक्ट की स्पिरिट यह है कि जमीन टिलर के ही पास रहनी चाहिये, किसी दूसरे के पास जमीन नहीं रहनी चाहिये। ऐसी स्थिति से बचने के लिये यह मान कर चलना पड़ेगा कि शादी के बाद वोमेन के राइट्स नहीं रह सकते जब तक कि उसका पति मंजूर नहीं करे कि वह वहीं उसी गांव में उसके साथ रहेगा।

यह प्रोविजो माननीय मंत्री महोदय मान लें तो जो व्यक्ति कहते हैं कि समान अधिकार होने चाहिये और इसलिए इसमें से 'फीमेल' शब्द हटा देना चाहिये वे भी संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मिस्टर चेअरमेन, सर, यह जो क्लॉज़ है इस पर इतनी बहस होते हुए भी, ऐसे संशोधन का समर्थन करने में मुझे भी अफसोस होगा। हिन्दू लॉ में औरतों के इन्हेरिटेन्स के बारे में पहले ही काफी लॉज़ आ चुके हैं। यहां जब क्लॉज़ २७ में इन्हेरिटेन्स का जिक्र करते हैं तो वह इन्हेरिटेन्स पहली धारा से होगा, अण्डर स्पेशल conditions होगा, शायद बहुत ही कम इन्स्टान्सेज में। नोर्मल रेस्ट्रिक्शन्स हैं वे इन्हैरिटेन्स पर लागू होती हैं।

इसके बाद रिवरशन का प्रश्न आता है और वे "dies or abandons or surrenders" तीनों चीजें जोड़ी जानी चाहिये। इसलिये "Any female tenant who has inherited a holding dies or abandons or surrenders" जो "marries" शब्द है "marries as the case may be" ये शब्द डिलीट कर दिये जावें, तो बुनियादी तौर पर इस क्लॉज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह तो उसकी डेथ या अबन्डन या सरेन्डर करे तो ऐसी सूरत में क्लॉज़ २७ will operate, मेरे मित्र, जो नीम के थाने से आये हैं, ने कहा कि शादी के बाद वह दूसरे इलाके में चली जाती है और चले जाने के बाद उसका उस होल्डिंग से कोई सम्बन्ध नहीं रहता तो वह एबन्डन या सरेन्डर कर देगी, जैसी भी हालत हो। अगर उसको उसके साथ जाना पड़े तो जायगी और ऐसा भी हो सकता है कि उसका मर्द उसके साथ रहे by agreement, by turns. इसलिये कोई प्रोविजन रहे। कुछ दिन वह अपने मर्द के साथ रहे और कुछ दिन उसका मर्द उसके साथ रहे। इसलिये हम इसमें क्या रेस्टिक्शन डालें। इसके अलावा जैसा मेरे एक मित्र कह रहे हैं कि वह आस पास के गांव में ही रहता हो तो इस प्रकार का प्रश्न नहीं उठता। इसलिये कोई भी कानून में सारी इवेंच्युएलिटीज़ के लिए ऐसी बात नहीं रखनी चाहिए। "or marries as the case may be" शब्दों को हटाने से बुनियादी तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिये इस एमेन्डमेंट पर मंत्री महोदय विचार करें।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अभी जो सुझाव श्री नीम के थाने से आये हुए मेरे मित्र ने दिया कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो उस औरत से शादी करे, यदि उस होल्डिंग पर आकर बस जावे तो ऐसी सूरत में उसको वह प्रोपर्टी मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता

[श्री तनसिंह]

मालूम नहीं होती। पहले तो औरत अपने पति के प्रति वफादार रहने की जिम्मेदार थी। अब एक बात के बजाय दो बातें हुई! अब औरत अपने पति के प्रति वफादार रहने के अलावा अपनी जायदाद के प्रति भी वफादार रहे। अगर वह किसी और से शादी कर ले तो उसकी जायदाद चली जावेगी। मगर अभी जो बातें कही गई हैं, मैं यह कहूंगा कि यह मान कर क्यों चला जावे कि सारी औरतें विधवाएं ही हो जाएंगी, जिनको इस प्रकार की जायदाद प्राप्त होगी। ऐसा भी हो सकता है जो अविवाहित हैं उनके लिये हमारा कानून यह बताये कि खबरदार है, यदि तुमने विवाह कर लिया तो। यह जायदाद जो तुमको तुम्हारे पिता के द्वारा मिली है वह विवाह कर लिया तो नहीं मिलेगी। यह उनको शादी से वंचित करने का क्लॉज है और इसको हटा देने से सामाजिक दृष्टि से कोई विशेष हरकत नहीं होने की है। एक तरफ हम यह कह रहे हैं कि हम औरतों को समान अधिकार दे रहे हैं और दूसरी ओर हम यह कहें कि समान अधिकार इसलिये नहीं देना चाहते कि इस प्रकार के समान अधिकार देने से औरतों के झगड़े पैदा होते हैं इसलिये उनको यह अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये। ये जो दलीलें दी जा रही हैं बिल्कुल निकम्मी हैं। हम यह मान कर चलें कि एक औरत जो किसी आदमी की पत्नि है वह मर गया और वह कोई दूसरी शादी करती है और चूंकि आसपास के लोगों को या उसके घर वालों को एतराज हो कि वह किसी दूसरे से शादी न करे और इस शादी के परिणाम स्वरूप उसकी जायदाद के चले जाने का अन्देशा हो तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह क्लॉज इस जगह उन लोगों को मदद देगा जो ऐसा चाहते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो संशोधन 'फीमेल' की जगह 'वीमेन' का रखा यह संशोधन एमेंडेड है, इसको स्वीकार करने में कोई सेन्स नहीं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस क्लॉज़ को माननीय मंत्री वापिस ले लें। जिससे क्लॉज़ २८ में संशोधन हो जावे और अपना जो सिद्धान्त है कि औरतों को समान अधिकार मिलने चाहिये वह भी स्थिर रहे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इसको वापिस ले लें।

श्रीमती यशोदा देवी—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ २७ पर जो बहस हो रही है उस पर मैं आपसे और आपके मारफत माननीय सदस्यों व माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूँ कि जब हिन्दुस्तान के संविधान में महिलाओं को स्वतन्त्रता दी गई है तो क्या इस क्लॉज़ के द्वारा उनको अपने अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा रहा है? उनको बराबर सम्पत्ति में अधिकार मिलना चाहिये। मैं कहती हूँ, माननीय उपाध्यक्ष, कि जिस औरत का आदमी यानि पति मर जावे तो उस आदमी के मर जाने से विधवा होती है और दूसरी शादी कर लेती है तो वह अपने अधिकार वहीं छोड़ जावेगी या साथ ले जावेगी? क्या आवश्यकता है इस बात की कि हर एक बहिन जो विधवा है शादी करेगी ही। क्या मैं यह पूछ सकती हूँ कि क्या हमारा हिन्दू समाज आज इतना आगे बढ़ गया है और अगर बढ़ गया है तो आज उन महिलाओं को जिन पर अत्याचार हो रहा है, जो हम रात दिन अखबारों में पढ़ते हैं, वे बातें हमारे सामने नहीं आतीं। क्या आज महिलाओं के अधिकार छीनने के बाद, क्या महिलाओं पर दुर्व्यवहार होगा और मैं पूछना चाहती हूं कि आज इस सदन

[श्रीमति यशोदा देवी] [ ]

में माननीय मित्र जितने भी जागीरदार बैठे हुए हैं उनके घरों में आप देखेंगे कि वहां विधवाओं की क्या हालत है ? महिलाओं पर क्या अत्याचार होते हैं, उनको पूछिये ? जिस दिन स्त्री का पति मर जाता है उसी दिन से उसके साथ पशु सा बर्ताव किया जाने लगता है और उसको काम में इस प्रकारा जोता जाता है जिस प्रकार तेली बैल को काम में लगाता है। जब वह जुल्म काबिले बर्दाश्त नहीं होत हैं तो वे क्या करती हैं, वे आत्म हत्या कर लेती हैं। महिलाओं को समान अधिकार की आवश्यकता है और उनका जमीन-जायदाद में अथवा हर जगह बराबर हक होना चाहिये और उनका बराबर नाम रहना चाहिये।

अगर महिलाओं को इस तरह से अधिकारों से वंचित नहीं करना है और साथ ही उनको बदनाम भी नहीं होने देना है तो इस तरह की क्लॉज यहां से निकाल दीजिये। माननीय उपाध्यक्ष, उनको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष, कोई तो यह कह रहा है कि इस सम्बन्ध में महिलाओं को जो अधिकार दिये गये हैं वे समानाधिकार नहीं हैं और उस पर आपत्ति आ रही है। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि समानाधिकार में आपत्ति किस प्रकार आती है। जिस तरह लड़के को पैतृक सम्पति के अधिकार प्राप्त हैं उसी प्रकार लड़की को भी प्राप्त हैं; तो कैसे कहा जा सकता है कि समानाधिकार नहीं हैं। इसलिए स्त्रियों के समानाधिकार हम छीन रहे हैं, यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता। अस्तु।

इसके बाद दूसरी आपत्ति यह की जाती है कि समानाधिकार छीना जाता है। यह कैसे ? समझ में नहीं आता। जिस प्रकार एक लड़का पैतृक सम्पति का उपभोग करता है उसी प्रकार लड़की भी अपने पति के मर जाने पर और विधवा हो जाने पर, यदि उसके पति को खातेदारी राइट्स प्राप्त हैं, तो उसको भी खातेदारी राइट्स प्राप्त हो जावेंगे, और प्राप्त कर लेती है। इसलिए समानाधिकार तो यहां मौजूद हैं।

अब सवाल यह है कि चूंकि शादी होने के बाद स्त्री अपने अधिकारों से वंचित हो जायगी, क्योंकि शादी, हम ऐसा कहते हैं कि, नहीं होनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में नीम के थाने से आने वाले सदस्य ने जो सम्मति प्रकट की है उससे यह प्रश्न हल हो जाता है। उन्होंने यह बतलाया था कि अगर एक स्त्री विधवा हो जाती है तो विधवा होने के बाद उसको पति के अधिकार मिल जाते हैं और पैतृक सम्पति के अधिकारों से जरुर मुक्त हो जाती है। यदि पिता के घर चली जाती है तो उसको पैतृक सम्पति का अधिकार मिल जाता है और अगर पति के घर रहती है तो पत्नी के अधिकार मिल जाते हैं। तो उसको प्राप्त होने वाले दोनों अधिकारों में कोई अन्तर नहीं पड़ा।

अब स्थिति यह हो सकती है कि पैतृक सम्पति बहुत अच्छी है और जिस आदमी से वह विधवा स्त्री शादी करना चाहती है उसके पास सम्पत्ति नहीं है और वह सोचती है कि उसके साथ जाने

[श्री रूपनारायण शात्री]

पर निर्धन हो जायगी, अतः दोनों ही कार्य करे तो उस हालत में उसको उसके साथ जाने पर पैतृक सम्पत्ति नहीं मिल सकती। चूंकि यह कहा गया है कि विधवा हो जाने पर उसके साथ अत्याचार होंगे, स्त्रियों का वास्तविक सतीत्व नष्ट हो जायगा, गौरव नष्ट हो जायगा और इसलिए उसको वह हक मिलना चाहिए, तो यह उचित नहीं प्रतीत होता। यदि वह संयम और शील से रहना चाहती है तो वह पिता के घर रह सकती है, जहां कि उसको पैतृक सम्पति मिल सकती है। किन्तु शादी भी करना चाहती है और पिता की सम्पति पर भी अधिकार बनाए रखना चाहती है, तो ये दोनों चीजें नहीं चल सकतीं। शादी करने पर भी एक तरह से वह पति की सम्पति पर अधिकार रख सकती है। ऐसी चीज आज भी प्रचलित है। अगर किसी स्त्री ने शादी की और वह विधवा हो जाती है तो वह दूसरे काश्तकार के साथ शादी कर लेती है। वह काश्तकार वहीं आकर रहने लग जाता है, वह वहीं रहता है और इस तरह से वह सम्पति का मालिक बन जाता है। तो इस तरह का रिवाज आज भी है। अगर ऐसा मान लिया जाय तो मैं समझता हूं कि स्त्रियों को कोई आपति नहीं हो सकती। किन्तु उनको आपत्ति इसलिए होती है कि सम्पत्ति उनकी जाती है। यदि कोई स्त्री पिता की सम्पत्ति को छोड़ कर भी जाना चाहती है तो जिसके साथ वह जायगी उसके पास जितनी सम्पति होगी उसकी वह अधिकारिणी होगी। अगर अतुल सम्पति को छोड़कर नहीं जाना चाहती है तो वह अपने पिता के घर रह सकती है। इसलिए जो यह आपत्ति उठाई जा रही है कि इससे स्त्रियों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा, अत्याचार होंगे, इसका कोई महत्व नहीं है। अतः नीम के थाने से आने वाले सदस्यों ने जो सम्मति दी है उसको हम मान लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सम्मुख यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना पडेगा। जहां तक क्लॉज़ २७ का ताल्लुक है वह डिटरमिन करता है इनहेरिटेन्स राइट को। वह किसी फैमिली एयर (Heir) को प्राप्त होता है। जहां तक हिन्दू लॉ का ताल्लुक है वहां तक तो यह प्रश्न निर्धारित सा ही है कि किसी भी खातेदार की मृत्यु पर यदि किसी स्त्री खातेदार को कोई हक़ूक मिलते हैं तो पर्सनल लॉ को ध्यान में रखते हुए वे अधिकार उसके सीमित रहते हैं और उस स्त्री खातेदार के मरने के बाद वह इनहेरिटेन्स राइट लास्ट मेल उत्तराधिकारी को जो कि सरवाइवल होता है उसका होता है। यह तो माना हुआ सिद्धान्त है कि लिमिटेड इन्टेरस्ट होते हैं किसी फीमेल उत्तराधिकारिणी के। सवाल यह उठ सकता है और आम तौर पर उठाया जाता है कि क्या वजह है कि जब आपने स्त्री को अधिकार बराबर के दे रखे हैं तो क्यों स्त्रियों को लिमिटेड इन्ट्रेस्ट दिया जाता है और क्यों उनको सम्पति पर पूरा अधिकार नहीं दिया जाता। यह प्रश्न बहुत गम्भीर है और इस पर विचार करने के लिए हमको विचार करना पड़ेगा कि हमारा इस सम्बन्ध में पर्सनल ला किस तरह से डेवलप हो सकता है। हिन्दू लॉ के तहत में स्त्रियों को जो अधिकार दिये गये हैं क्या वे अधिकार जहां टीनेन्सी राइट्स का ताल्लुक है वहां भी मिलने चाहिए। लेकिन एक यह बात बिलकुल साफ है कि अब तक जो लॉ हमारे देश में डेवलप हुआ और जिसको कि हम अपना लॉ कह सकते हैं वहां यह मान्यता रही है कि स्त्री किसी सम्पति की अधिकारिणी होती है तो वह अधिकार उसका सीमित रहना चाहिए। लेकिन आज के इस समाज में क्या होना चाहिए ? इस पहलू पर हम कई तरीकों से विचार कर सकते हैं।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

कई तरह की ये बातें हैं। आज अधिकारों की जहां बात आती है, वहां पर अपने पिता की संपति में लड़की का भी उतना ही अधिकार है जितना कि लड़के का। इस तरह से जब उनको पिता की संपति पर पूरे अधिकार मिलते हैं तो वे अधिकार यहां सीमित क्यों किये जांय ? इसके ऊपर मुझे इस बात का दुख रहा कि मैं अपने पूर्व वक्ताओं का इस सम्बन्ध में विचार सुन नहीं सका, किन्तु मेरे विचार जो इस बारे में हैं वे हैं। जहां तक टीनेन्सी राइट का ताल्लुक है हमने इसको सीमित रखा है उन लोगों तक जो वास्तव में खेती करते हैं। मैं इसके दूसरे पहलू पर विचार करता हूं तो यह ध्यान में आता है कि क्या यह मुमकिन हो सकता है कि कोई स्त्री खातेदारी खेती कर सकेगी या उस जमीन को अच्छी तरह रख सकेगी जैसा कि एक पुरुष खातेदार रख सकता है। और अगर आवश्यकता इसी बात की हो कि उसका निर्वाह हो सके तो उसके जीवन पर्यन्त जीविका का साधन बना रहेगा, उसकी मृत्यु के पश्चात् वह उसके उपयोग की चीज नहीं रहेगी। यही हमेशा झगड़ा चलता रहेगा। उस स्त्री की मृत्यु के बाद वह जायदाद वास्तव में जो स्त्री-धन है उसके खुद के रिश्तेदारों को चला जायगा जिससे कि उसको हिस्सा मिला है या वह जहां गई है। मैं सदन के सम्मुख एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि इस विषय में कानूनी सलाहकारों की राय लेकर उसके बाद यह सदन उस पर बहस करे और फिर कोई निर्णय ले।

अब तक जो संशोधन हमारे माननीय मित्रों ने इस बारे में रखे हैं वे बिल्कुल दुरूस्त हैं। किसी स्त्री खातेदार के विवाह कर लेने के पश्चात या दूसरा विवाह कर लेने के पश्चात् इनहेरिटेन्स के अधिकार किसको रहेंगे ? अगर रिमेरिज कर लेती है तो जिस सम्पति को उसके मूलभूत साधन मानते हैं तो उस सम्पति पर अधिकार किसका माना जाय। क्या वह जायदाद उस खातेदार के संबन्धियों को मिले ? जब रिमेरिज की बात आती है तो हम उसका हल कैसे निकाल सकते हैं, इस बात पर हमें विचार करना है। लड़की के लिये ऐसा होता है कि जब तक उसकी शादी नहीं होती उस वक्त तक पिता की सम्पत्ति पर अधिकार रहता है और शादी हो जाने के बाद वे अधिकार खत्म हो जाते हैं। लेकिन आमतौर पर लड़की को जो उसके पिता की संपति पर अधिकार मिलता है वह जीवन पर्यन्त तक रहता है। जहां तक मेरिज का ताल्लुक है वह भी होना चाहिये, पर रिमेरिज के बाद वे अधिकार खत्म होने चाहिये। मेरिज शब्द है वह इस तरह से रखा गया है—

"When a female tenant who has inherited an interest in a holding dies or marries, as the case may be"

मेरी राय में जहां मेरिज शब्द है वहा रिमेरिज होना चाहिये। जब तक जिन्दगी है तबतक पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार रहेगा, केवल शादी कर लेने मात्र से वे अधिकार नहीं चले जाने चाहिये। जहां तक रिमेरिज का ताल्लुक है वहां ऐसा हो सकता है इसलिये मेरा सुझाव है कि मेरिज के स्थान पर रिमेरिज होने पर यह मामला ठीक हो सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय उपाध्यक्ष जी, यह विषय काफी वाद विवाद का बन गया है। इस पर यहां कई प्रकार की काफी चर्चाएं हुई और मैं यह भी देखता हूँ कि हाउस में इस सम्बन्ध में काफी विचारधाराएं हैं। पर हमें किसी निर्णय पर पहुंचना है। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि अपने आपसी विचार-विनिमय के बाद इसको तय करें, बजाय इसके कि ज्यादा भाषण या चर्चा यहां पर करें। इसलिये आपसी विचार के पश्चात् मैं इस पर निश्चित तौर से जवाब देने के लिये प्रस्तुत होऊंगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसके साथ २८ वां क्लॉज भी रहने दीजिये।

(स्वीकृति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—२७ और २८ दोनों क्लॉज़ मुल्तवी किये जाते हैं।

खण्ड २९।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ २९, श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Deputy Speaker, Sir, since my amendment refers also to sections 26 and 27 which have recently been deferred just now, I think that section 29 might also be deferred, otherwise my amendment will become meaningless. My amendment No. 248 reads—" In clause (1) of section 29 insert the words, ' notwithstanding anything contained in sections 26 and 27 ' before the words ' No person ' occurring in the first line. " Since 27 has been deferred my amendment will definitely have to be changed according to the dicision, the House may take with regard to 27. That is why I made a request that either this section be deferred or consideration postponed till clause 27 is disposed of.

श्री उपाध्यक्ष—I think we postpone this.

(स्वीकृति के पश्चात्)

यह क्लॉज़ फिलहाल मुल्तवी रखा गया।

खण्ड ३०।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ ३० इस पर कोई संशोधन नहीं हैं।

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज़ ३० में भी......

श्री जवानसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस पर कोई अमेंडमेंट तो है नहीं, फिर भी मैं इस सम्बन्ध में दो-चार शब्द निवेदन करना चाहता हूं। मैं बहुत संक्षेप में इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा और वह निवेदन इस प्रकार है। हमने क्लॉज़ २४ में जिस सिद्धान्त की बातचीत की थी :—

" The interest of a tenant is heritable but not transferable except as laid down in this Act. "

और दूसरी धारा और प्रकार से पाते हैं। दोनों का मकसद एक होते हुए भी दोनों में शाब्दिक अन्तर है। मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब आपने एक सिद्धान्त को मान लिया है कि जिस प्रकार अदर प्रोपरटी में मालिकाना हक होते हैं इन्सान के, वैसे ही हक हमने काश्तकारों के जमीन पर नहीं माने हैं। इसलिये यहां पर जो शब्द रखे हैं वे कुछ और हैं।

"The interest of a khatedar tenant shall be transferable—"

पहले हमने इस चीज को माना है कि खातेदार टिनेन्ट को ट्रान्सफर करने का हक है, वह उसे सिद्धान्त रूप में नहीं माना है। पर यहां पर हमने माना है कि टिनेन्ट को अपने हक ट्रान्सफर करने का और हक नहीं, अलावा इसके कि जो हक इस कानून की तहत में दिये गये हैं।

इस वक्त हम धारा ३० पर विचार कर रहे हैं जो कि इस बात को जाहिर करती है कि यहां पर हम काश्तकारों के साथ ट्रान्सफर करने का हक सिद्धान्त रूप से मानते हैं। तो इन दोनों में जो यह भिन्नता प्रकट होती है, ऊपरी तौर से, उसकी तरफ मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा और इस धारा में जो यह भिन्नता असावधानी से रह गई है उसका निपटारा करने के लिए निवेदन करूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आपको इस भिन्नता से तो कोई ओब्जेक्शन नहीं है ?

श्री जवानसिंह—ओब्जेक्शन यही है।

श्री उपाध्यक्ष—भाषा का एतराज है आपको ?

श्री जवानसिंह—अच्छा तो यही होगा कि आगे वाली धारा इसके माफिक हो।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—२४ में इस माफिक होती, यही मतलब है आपका ?

श्री जवानसिंह—जी हां।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शाब्दिक परिवर्तन जो मेरे माननीय मित्र ने बताया उससे मैं इसलिये सहमत नहीं हूं कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

भी यही महसूस होगा कि "The interest of a Khatedar tenant shall be transferable otherwise than by way of sub-lease, subject to the conditions specified in section 31, 32 and 33."

That means we have given limited rights of transfer to a Khatedar tenant and those limited rights have been mentioned in sections 31, 32 and 33. 31 says-"Sale or gift excep with the general or special permission of the State Government no Khatedar tenant shall have the right to transfer by sale or gift...". The limitation is that he shall have to seek the permission of the Government if he wants to transfer by sale or gift.

Clause 32 is a restriction on the mortgagee For a mortgagee the restriction is-"A Khatedar tenant may transfer his rights in the whole or a part of his holding in the form of a usufructuary mortgage for a period not exceeding 20 years" That is the limitation prescribed by section 32; and Clause 33 is restriction on transfers by sale. So the limitation with regard to transfers has been specified in sections 31, 32 and 33. If we add 'not' before the word 'transferable' then the whole meaning of this clause would be wrong because that will not be connected in any way 'subject to the conditions specified in section 31, 32, and33,' That is a general clause of general application. Generally speaking the holding of a tenant shall not be transferable but this is specific that with regard to mortgage, sale or gift these limitations do not apply. The holding can be transferred and there is no restriction otherwise than by way of sub-lease. So far as sub-lease is concerned it can be sub-let. So this introduction of 'not' I think is not suitable so far as this Act is concerned and therefore I don't agree with what my friend has suggested.

श्री हिम्मतसिंह—आगे करने का सवाल नहीं है, दोनों का सिमिलर कन्स्ट्रक्शन होने का सवाल था। एक जगह तो आप रखते हैं " not transferable " और दूसरी जगह आप रखते हैं 'can transfer'; तो इसमें भाषा में फर्क आ जाता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस तरफ आपका ध्यान २४ में भी दिलाया गया था, पर आपने उस समय देखा नहीं इस ओर। इसलिये जाकर अब यह हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, यह कहना ठीक है कि २४ जो क्लॉज़ है उसमें " The interest of a tenant is heritable but not transferable except as laid down in this Act. "

अब वह 'लेड डाउन' कहां आता है। वह आता है इस तीसरे क्लॉज़ में जहां पर हमने पोज़िटिव सैन्स में कहा है कि It shall be transferable but transferable according to these

Page No.56

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

sections." तो वह जो कन्डीशन वहां कही गई थी "It shall not be transferable except as provided in this Act" तो वह प्रोविजन यहां पर भी है। इसलिये इसके अन्दर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३० विधेयक में अंगरूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३० विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

खण्ड ३१

श्री उपाध्यक्ष—श्री माथुर अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Deputy Speaker, Sir, my amendment improves the language of the original clause which is: "In clause 31 insert the words 'interest in the' after the words 'part of his' in the third line.

And my second amendment in the same clause is for the words and figures 'with whom the area on such sale or gift becoming effective, will exceed 90 acres of unirrigated or 30 acres of irrigated land', the following words and figures be substituted:—

'who at the date of such transfer is already in the possession of land which together with the land so transferred exceeds 90 acres of unirrigated or 30 acres of irrigated land" माननीय उपाध्यक्षजी, वैसे सैक्शन ३१ "Sale or transfer by gift" लगाई गई है। यह कहा गया है कि किसी आदमी के पास से वह जमीन खरीद सकेगा या गिफ्ट में ले सकेगा। जिसके पास जो जमीन है और जो जमीन सेल या गिफ्ट में मिलती है उसका कुल मिलाकर एरिया अगर वह जमीन अनइर्रिगेटेड है तो ९० एकड़ और अगर इर्रिगेटेड है तो ३० एकड़ से ज्यादा नहीं होगी। यह पाश्चर होल्डिंग के लिये एक प्रकार का सीलिंग इस सैक्शन में हमने लगाने का प्रयत्न किया है और मेरी जो तरमीम है वह सिर्फ कुछ लफ्जों को हटाकर इस इरादे को साफ जाहिर करने के लिए रक्खी गई है। इसमें कोई खास हेर-फेर नहीं किया गया है, बल्कि बुनियादी चीज वही है जो क्लॉज़ ३१ में रक्खी गई है।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष अभी माननीय सदस्य, श्री माथुर ने संशोधन प्रस्तुत किया है उस संबंध में तथा इस पूरी धारा के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस धारा में हमने एक बहुत बड़ी बात का समावेश किया है। इस काश्तकारी कानून में एक बहुत

[श्री जवानसिंह]

महत्वपूर्ण कदम जो हमने लिया है वह शायद इस क्लॉज में लिया है और वह इस प्रकार से कि हमने किसी काश्तकार के पास जमीन कितनी होनी चाहिए उसकी तरफ संकेत किया है। इस संकेत में इस बात का भी समावेश है कि राजस्थान के विभिन्न भागों में चाहे कहीं पर कोरा रेगिस्तान ही है, पानी चाहे पूरे साल में २ इंच ही होता हो और राजस्थान के दूसरे हिस्सों में चाहे ४० या ५० इंच तक सामान्य रूप से वर्षा होती हो, इन सब बातों का ख्याल नहीं करते हुए भी हमने काश्तकार के पास कितनी जमीन होनी चाहिए इसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया है और वह इस प्रकार से साफतौर से नहीं; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि किसी काश्तकार के पास ज्यादा से ज्यादा या कम से कम कितनी जमीन हो सकती है, इस रूप में हमने यह प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन हमने उस प्रतिबन्ध का अर्थ इतना ही दूसरे शब्दों में लगाया है और इस प्रकार से कि कोई भी व्यक्ति अपने पास ३० एकड़ सींची हुई भूमि, यह ६० एकड़ भूमि बारानी ज्यादा किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकता है इस बात को हमने इस धारा में मन्जूर करने की कोशिश की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन का ध्यान हमारे राजस्थान में एक सीलिंग कमेटी मुकर्रर हुई है जो कि राजस्थान के विभिन्न भागों में अपना काम कर रही है, और कुछ अरसे के बाद शायद सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसकी तरफ भी दिलाना चाहूंगा। उसका खास मकसद यह है कि राजस्थान के विभिन्न भागों में कितनी जमीन काश्तकार के पास में होनी चाहिए और उससे ज्यादा वह काश्तकार अपने पास में जमीन नहीं रख सकता है। इस विषय में यह सीलिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी और उसके होने के पहले हम जब इस तरह के महत्व की चीज इस काश्तकारी बिल में रखना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम उस सीलिंग कमेटी के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं और एक तरह से उसको सुपरसीड करने का प्रयत्न हम इस कानून की इस क्लॉज में इस चीज को रखकर कर रहे हैं। इसलिए मैं सदन का ध्यान इस ओर विशेष तौर से आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, कि यह विषय काफी गम्भीर है। उस कमेटी की जो कुछ भी कार्रवाई होगी, जो कुछ सिफारिशें वह सरकार को करेगी। अगर उसको हमें ध्यान में रखना है, और जितनी मेहनत करके विभिन्न भागों का तजुर्बा हासिल करके अलग अलग गवाहियां लेकर और असलियत को मालूम करके किसी निष्कर्ष पर वह कमेटी पहुंचेगी कि एक काश्तकार के पास कोटा में कितनी जमीन ज्यादा से ज्यादा रखने का अधिकार होना चाहिए और जैसलमेर में कितनी भूमि एक काश्तकार के अधिकार में होनी चाहिए एवं अब किस हिस्से में कितनी जमीन होनी चाहिये इस चीज पर सीलिंग कमेटी अपनी राय पेश करेगी, तो हमें वह राय आने से पहले इसी वक्त क्या अधिकार है कि हम बिना सोचे समझे, बिना हमारे सामने किसी भी प्रकार का आधार आये, बिना किसी प्रकार का कोई तजुर्बा होते हुए हम यह चीज इस समय इस बिल में कैसे रख सकते हैं तमाम राजस्थान के काश्तकारों के लिए कि कोई भी काश्तकार ३० एकड़ सींची हुई भूमि से ज्यादा नहीं ले सकेगा। क्या इस तरह का रुख जो हम इस कानून को पास करके, इस क्लॉज को पास करके, अपना रहे हैं वह वाकई में न्याययुक्त होगा, मैं इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर यह कदम किसी सूरत में वाजिब नहीं हो

Page No.58

[श्री जवानसिंह]

सकता कि जब हम एक चीज को ठीक तौर से, पूरे प्रोसीजर से, तय करने जा रहे हैं और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सीमाएं नियुत कर रहे हैं कि एक काश्तकार के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी भूमि होनी चाहिए इस सिलसिले में जब हम तय करने जा रहे हैं तो यहां पर हम ३० एकड़ वाला प्रतिबन्ध लगाकर उस सीलिंग कमेटी की तमाम की तमाम कार्यवाई को इस तरह से विफल करने जा रहे हैं और जब इतना समय गुजर गया है तो हमें थोड़े समय के लिए और ठहर जाना चाहिए, सीलिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्दी ही देने वाली है और जब तक सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट नहीं आजाय तब तक इस कानून के अन्दर इस बात का प्रोवीजन हम नहीं करें कि एक काश्तकार के पास ३० एकड़ से ज्यादा भूमि रखने का कोई अधिकार नहीं तो अच्छा होगा। इसलिए खास तौर से इस बात को सोचना है कि यदि ३० एकड़ सींची हुई या ६० एकड़ बारानी भूमि जो काश्तकार के लिए मुकर्रर कर रहे हैं वह किन सूरतों में ठीक है।

उसके ऊपर मैं यह भी निवेदन करूंगा कि क्या इस ३० एकड़ के नियम को कोटा में जहां कि बरसात और दूसरी बातों की काफी सहूलियतें हैं, लागू करने से जो वहां के लोगों को राहत मिल सकती है वही राहत जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के उन हिस्सों में जहां कि केवल रेगिस्तान ही पड़ता है और जहां कि खेती बरसात के अलावा और मौसम में नहीं होती है, इस नियम को लागू करने से वहां के लोगों को मिल सकेगी। इसलिए इस बात को खास तौर से सोचना है कि हम इस तरह सब जगह समान रूप से जो ३० एकड़ का प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं वह किसी जगह ठीक और न्याययुक्त हो सकता है, सब जगह ठीक और न्याययुक्त नहीं हो सकता। जब किसानों की तरक्की के लिऐ हम बात करते हैं तो अगर ज्यादा जमीन रखकर और उसमें खेती करके किसान अपनी तरक्की करना चाहते हों तो फिर क्यों नहीं उन्हें ऐसा मौका दिया जाय कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने पास में जमीन रक्खें और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा करें और ज्यादा से ज्यादा खुद मुनाफा उठायें और सरकार को भी मुनाफा दें। इस तरह का एकांकी प्रतिबन्ध, जो सरकार रखने जा रही है वह मेरा ख्याल है, किसी भी कदर न्याययुक्त नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचे-विचारे और जल्दी ही कोई कदम न उठाये जिसकी वजह से कि जो बात बाद में सही रास्ते से तय होने जा रही है उसका समावेश इस वक्त इस कानून के क्लॉज में बिना सोचे समझे करना उचित नहीं होगा।

इसके साथ एक निवेदन करूंगा कि इस चीज का असर एक दूसरा और समझा जा रहा रहा है, उसकी तरफ भी हमें ध्यान रखना है। आज किसी खुदकाश्त होल्डर के पास में, मानलें ३० एकड़ भूमि नहीं है और उसके बाद में जागीर रिजम्पशन एक्ट में जो कुछ दिया है उसके अनुसार अर्जी देना चाहे कि जो कुछ आपने उस कानून में मुझे और ज्यादा जमीन देने के लिए हक दिया है इस लिए जमीन ज्यादा दीजिये तो इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या उसको यह हक रहेगा कि वह इस कानून के होते हुए उससे ज्यादा जमीन पा सके। तो इस तरह से ये उलझनें पैदा करने वाली चीजें

Page No.59

[श्री जवानसिंह]

आप इस क्लॉज में और बढ़ाने जा रहे हैं, जोकि मेरा खयाल है, ठीक नहीं है। इसलिए उस चीज को काफी गम्भीरता से सोचें और सोच समझकर किसी नतीजे पर पहुंचे तो ज्यादा ठीक होगा, और वह हमेशा के लिए चलने वाली भी चीज होगी, अन्यथा चार दिन के बाद फिर इस चीज को आपको बदलना पड़े। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस धारा को इस प्रकार से नहीं रखिये। उसके लिए यह खाली रहने दिया जाय कि इसके बाद में सरकार जिस एरिया के लिए जितनी भूमि नियत करेगी उतनी भूमि ज्यादा से ज्यादा उस काश्तकार के अधिकार में होगी। यह प्रोवीजन इस धारा में रखेंगे तो वह ठीक होगा। बाद में सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में जितनी सीमा काश्तकार के लिए रखना चाहेंगे उतनी जमीन का समावेश इस धारा में उस वक्त हो सकेगा।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष जी, जो तरमीम रखी गई है इसका सेन्टेन्स ठीक नहीं बनता है। शायद टाइप में गलती रह गई है। मेरा यह सुझाव है कि इसको यों रखा जाय "Except with the general of special permission of the State Government no khatedar tenant shall have the right to transfer by sale or gift" इसके बादमें "his interest in the whole of part or" इस तरह होना चाहिये। "interest in the" शब्द "part of his" के बाद रखना गलत है, इसलिये इस तरह जाना चाहिये: "...his interest in the whole or his holding".

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में सिलेक्ट कमेटी में काफी चर्चा हुई थी और सदन में भी कई बार इसकी चर्चा आती है। मैं बहुत बार इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि हमारी नीति यह है कि होल्डिंग्ज को ज्यादा बड़ा न होने दिया जाय और इस बात का लोगों को अवसर प्राप्त हो कि दूसरों को काश्त करने के लिए जमीन मिले...

श्री उपाध्यक्ष (श्री लालसिंह शक्तावत)—इसमें कुछ और भी अमेंडमेंट बाकी हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—I don't want to move my amendment, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—एक अमेंडमेंट श्री किशनलाल शाह का है।

एक माननीय सदस्य—वे गैर हाजिर हैं।

श्री उपाध्यक्ष—दूसरा अमेंडमेंट श्री भीमसिंह का है।

श्री भीमसिंह—I don't want to move it, Sir.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(भाषण जारी रखते हुए) देश में इस समय इस बात को आम तौर पर स्वीकार किया गया है कि बहुत बड़ा होल्डिंग नहीं होना चाहिए बल्कि आम तौर से इकोनोमिक होल्डिंग रखने पर हम सोचें और उसके अनुसार कार्य करें। राजस्थान में हमने एक सीलिंग कमेटी कायम की है जो अधिक से अधिक भूमि एक किसान के पास कितनी होनी चाहिये या कितनी छोड़ी जाय, इस बारे में अलग अलग जगहों पर जाकर जांच कर रही है और वह जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देगी। लेकिन इस बीच में एक चीज और आवश्यक होती है जबकि हम भूमि के बारे में यह तय करने की बात सोच रहे हैं कि भूमि का ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग कितना बड़ा हो, यह सोचना आवश्यक होता है कि जो जमीन आगे से दीजाय वहजमीन इतनी अधिक कभी न दी जाय कि जिसकी वजह से होल्डिंग बड़ा हो जाय और फिर सोचना पड़े कि अब सीलिंग लागू करके जमीन वापिस लेनी है। इस प्रकार भविष्य में खरीद करने या ट्रान्सफर करने से किसी के पास होल्डिंग बड़ी न हो जाय ताकि बड़ी होने के बाद फिर हमें एक्वायर करके कम करने की प्रोसिडिंग्ज करनी पड़ें और इसमें मैं समझता हूँ कि जो सीलिंग आगे जाकर कमेटी तय करे उसके अनुसार कार्यवाही करनी पड़े और उस कार्यवाही को करने में और आज की जो यह धारा रखी गई है उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। इसमें कहा है कि इर्रिगेटेड जमीन ३० एकड़ से ज्यादा सेल से या गिफ्ट से एक आदमी के पास होल्डिंग बड़ी नहीं होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जिक्र किया गया है कि राजस्थान में ऐसा भी इलाका है जहां पर इससे ज्यादा बड़ा होल्डिंग्ज हो सकती हैं और इस बात को गवर्नमेंट ने ध्यान में रखा है और उसी की वजह से इसमें शब्द रखे हैं "except with the general or special permission of the State Government" "General or special permission" के बाद इस सिचुएशन को कॉन्टेम्पलेट करके रखा है। कोई इलाका ऐसा है जिसमें आवश्यकता है कि ६० एकड़ या करीब २०० बीघा के आसपास उन इलाकों में, जहां का जिक्र किया गया है वहां ज्यादा जमीन उपलब्ध है तो इस क्लॉज़ में गुंजायश है कि गवर्नमेंट परिस्थिति को देख कर इस सीमा में रद्दोबदल कर सकती है। लेकिन मूल सवाल यह है कि हम इस बात का प्रतिबन्ध सीलिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट दे उससे पहले लगावें या नहीं। यदि हम यह प्रतिबन्ध नहीं लगावें और जमीन होल्डिंग बढ़ाने दें तो बाद में ज्यादा जमीन इकट्ठी हो जाती है, तो आगे जाकर जिस तरह की समाज व्यवस्था की बात हम सोच रहे हैं उसके लिए यह विरोधाभास की बात होगी। दो तरह की बात में प्रतिबन्ध लगाना जरूरी है। एक तो सरकार जब जमीन अलॉट करे तब उसको ध्यान में रखना जरूरी है। सीलिंग कमेटी की कार्यवाही चालू कर दी है तो जमीन एलोटमेंट के बारे में रूल्स लागू किये हैं कि ज्यादा जमीन नहीं दी जाय। यह भी प्रतिबन्ध है कि कोई खरीद कर भी ज्यादा जमीन न ले। इन सारी बातों में कांटीन्यूटी है। सीलिंग कमेटी तय करेगी जो आगे जाकर लागू होगी तो इन तीनों चीजों को देखना होगा। प्लानिंग कमीशन ने भी इन तीनों चीजों को कन्टेम्प्लेट किया है। एक्वीजीशन किस प्रकार हो, अलॉटमैंट किस प्रकार हो, सीलिंग किस प्रकार लगावें। इन तीनों का एक पार्ट है जिस पर प्रतिबन्ध लगाना जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि माननीय डीडवाना से आये हुए सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है और जिसका दूसरा बरबल संशोधन प्रिंटिंग मिस्टेक के बारे में है वह ठीक है। मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं। मैं समझता हूं मूल क्लॉज़ को संशोधित रूप में सदन स्वीकार करेगा तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मथुरादास माथुर ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज़ ३१, एज़ अमेंडेड, विथ एक्सप्लेनेशन, विधेयक में अंग रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज एक्सप्लेनेशन के साथ, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बना।

खण्ड ३२, श्री मथुरादास माथुर

श्री मथुरादास माथुर—The Deputy Speaker. Sir, in clause 32 for sub-clause (2) the following be substituted—

"A usufructuary mortgage of any lands made in pursuance of the provision ot sub-section (1) shall, upon the expiry of the period mentioned in the mortgage--deed be deemed to have been satisfied in full without any payment whatsoever by the mortgage and the mortgage-debt shall accordingly be deemed to have been extinguished and thereupon the motrgaged lands shall be redeemed and possesion thereof shall be delivered to the mortgager free from all encmbrances.'

माननीय उपाध्यक्ष, जो पहले की ओरिजिनल सेक्शन है उसमें जो सब क्लॉज़ (२) है उसमें और इस तरमीम में सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें वर्ड्स ये दिये गये हैं "the mortgaged land shall be redelivered to the mortgager, free of all encumbrances." "redelivered" की जगह "Redeem" कर दिया गया है क्योंकि रिडिलीवर के लिये उसके पीछे-पीछे कौन फिरता रहे। टेक्निकली भी "redeem" शब्द होता है, इसलिये इसे रखा गया है। यह टेक्निकल शब्द है इसलिये मैं आशा करता हूं कि इसे मंजूर कर लेंगे।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—इस क्लॉज़ के बाबत जो अमेंडमेंट श्री मथुरादासजी माथुर ने पेश किया है ...

Page No.62

श्री उपाध्यक्ष—और भी अमेन्डमेंन्ट हैं। श्री वेदपाल त्यागी।

श्री वेद पाल त्यागी—I beg to move the following amendment to clause 32 (1)—Delete the sub-clause (I) and substitute the following in its place:—

"A khatedar tenant may transfer his rights in the whole or a part of holding by way of mortgage. In the case of usufructuary mortgage the period for which the holdiing shall be mortgaged shall not exceed twenty years."

माननीय उपाध्यक्ष, इस अमेंडमेंट को मूव करने में मेरा तात्पर्य यह है कि हमारे यहां खातेदार टीनेन्ट खातेदारी राइट्स को एक प्रोपर्टी के रूप में रखता है, उसको हमने इस बिल के द्वारा मोर्टगेज, सेल और गिफ्ट करने का अधिकार दिया है; तो हम इस तरह का कानून नहीं बनायें कि हमारी प्रोपर्टी की कीमत कम हो जाय और जरूरत के वक्त हम उससे रुपया वसूल नहीं कर सकें। इसके लिये मैने यह संशोधन रखा है।

खातेदार टीनेन्सी में हर सूरत में मोर्टगेज रखने का अधिकार रहना चाहिये क्योंकि जब तक आप उनको यह अधिकार नहीं देंगे तो किसी को विशेष कारण से १० या १५ दिन या ५—७ महीने के लिये रुपयों की आवश्यकता हुई तो वह इसकी सिक्योरिटी के ऊपर रुपया नहीं ले सकता। हर सूरत में उसे अपनी टीनेन्सी मोर्टगेज रखनी पड़ेगी, इसलिये मैंनें यह रखा है कि मोर्टगेज करने का अधिकार दिया जाय। मोर्टगेज को टान्सफर ओफ प्रोपर्टी में स्वीकार किया गया है। इसमें मोर्टगेज का प्रोवीजन हो तो २० साल तक आवश्यकता पड़ने पर मोर्टगेज रख सकें और २० साल में जैसा कि इस धारा में दिया हुआ है ओटोमेटिकली रिडीम हो जायगा।

अगर मोर्टगेजी का अधिकार आप नहीं रखेंगे तो इसका सिक्योरिटी के रूप में फायदा नहीं उठा सकेंगे। यह अधिकार रखने से किसान का कुछ नहीं बिगड़ता, वह सिंपल मोर्टगेज करता है तो इसमें काश्तकार का कोई नुकसान नहीं। जो रुपया देता है उसको जरूर फायदा हो जायगा कि उसके रुपये सिक्योर हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय मेरे अमेंडमेंट को अवश्य स्वीकार करेंगे और दूसरे तरीके से मोर्टगेज करने का अधिकार टीनेन्ट को अवश्य देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना अमेंडमेंट मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 32 (1).

"In line 3 substitute the word "ten" in place of the word 'twenty' and secondly, add the following proviso to this sub-clause:--

'Provided that atleast one fourth of his holing or twenty acres of unirrigated land, whichever is more, shall be left with the khatedar free from a any encumbrances and in his possession.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह जो धारा है इसमें काश्तकारों को हमने हकूक दिये हैं, लेकिन यह ऐसा हक है कि शायद किसी विशेष मौके में तो उसका उपयोग हो जाय लेकिन ज्यादातर ऐसे हकूक हैं कि जिससे नुकसान होने का भी अन्देशा है। अभी सामाजिक प्रथाएं हैं, जो प्रचलित हैं, जो कुप्रथाएं कहीं जानी चाहिये,उनकी वजह से या और किसी दूसरे कारण से अचानक रूपयों की आवश्यकता होने पर नासमझी में काश्तकार अपनी जमीन के अधिकार किसी प्रकार रहन रख दे और जिसकी मियाद २० साल तक रखी गई हो; यदि भारतवर्ष के एक आदमी की उम्र ली जाय तो २७ साल का एवरेज हमारा है, २० साल के लिये मोर्टगेज रखा गया तो उसके लिये तो उम्र भर के लिये जमीन उसके हाथ ही नहीं रहेगी। यदि इन्सान अपनी आजीविका का साधन इस प्रकार मजबूरी या नासमझी की वजह से रहन रख दे और उसके पास कोई और आजीविका का कम से कम भी साधन नहीं रह जाय तो इसका नतीजा यह होगा कि यह जो हक दे रहे हैं वह एक श्राप का रूप धारण कर लेगा। इसलिये ऐसा बंधन लगाना चाहिये कि कम से कम वह उसकी जीविका को बनाये रखने का साधन बना रहे।

पहला साधन यह है कि २० साल की जगह १० साल कर दिया जाय। १० साल काफी होते हैं। सवाल उठेगा कि सारा का सारा कर्जा रिडीम होता है कि नहीं, कर्जा नहीं चुका है तो आगे कम रुपया देंगे, देंगे भी कि नहीं, यह चीज मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिये। लेकिन २० साल के लिये किसी को रहन रख देने का अधिकार देने का मतलब यह होता है कि उसकी बेद-खली हो जाती है, उसका इजेक्टमेंट हो जाता है, यह इक्वेलेन्ट टू सेल है, कम से कम उसकी जिंदगी भर के लिये तो।

जिस समय ऐसे रहन रखने का मौका आये तो मैंने संशोधन रखा है कि कम से कम २० एकड़ अनइर्रिगेटेड लैंड या उसके पूरे होल्डिंग का १/४ (एक चौथाई) भाग उसके पजेशन में रहना ही चाहिये। इतना भी उसके हाथ से निकल जाय ऐसा मोर्टगेज करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिये। मजबूरी से,खुद रजामन्दी से,देना चाहता हो तो भी भविष्य में किसान के सही हित के दृष्टि-कोण से यह पाबन्दी हमें लगानी चाहिये कि इतनी जमीन तो रहेगी जिससे कि वह अपनी आजीविका चला सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसका नतीजा यह होगा माननीय उपाध्यक्ष, कि राजस्थान में बरार की सी हालत पैदा हो जायगी। रय्यत वाडी इलाका है वहां कर्जे की वजह से नीलाम होते होते आज ऐसी हालत पैदा हो गई है कि रैयतवाडी इलाके में सिर्फ १५-२० लोगों के हाथों में बरार की जमीन प्राप्त हो गई है। अगर २०-२० वर्ष तक उसकी मर्जी से उसको अपनी जमीन से महरूम रखने का अधिकार दिया गया,यदि २०—२० वर्ष तक काश्तकार का सर्वाधिकार न रह कर रहन रखने वाले का उस जमीन पर सर्वाधिकार रहा, और वही उसका करीब करीब मालिक रहा तो कम से कम एक पीढ़ी के लिये तो बरार जैसी हालत राजस्थान में हो जायगी। यह एक किस्म का नया लैंड लोर्डिज्म राजस्थान में हो जायगा जो २०, २० साल तक बड़े एरिया को रहन रख लेगा और फिर लीज़ करेगा। तो मैं यह निवेदन करूंगा माननीय उपाध्यक्ष, कि उपधारा पर फैसला देने से पहले हम इस बात को न भूलें कि जिस इलाके में हम रह रहे हैं और जिनके लिये यह कानून पास कर रहे हैं उन इलाकों के किसानों की कुछ तो हम लोगों की वजह से और कुछ मौजूदा सरकार की

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

वजह से और कुछ अशिक्षा की वजह से क्या हालत रही है, उन पर आज तक जिस प्रकार का शासन रहा है यानि सामन्ती प्रथा की वजह से और संस्कृति और शिक्षा की कमी की वजह से उनकी क्या हालत रही है।

(अनौपचारिक चर्चा)

जिन हल्कों में हम रह रहे हैं उन हल्कों के किसानों की आज जो हालत है, इसके लिये कौन जिम्मेदार है? इसके लिये जिम्मेदार आज तक का शासन, सामन्ती शासन कि जो आज तक रहा है और बाद में पिछले सालों से कांग्रेस के शासन की जिम्मेदारी भी है। मगर जिस प्रकार की हालत रही है इसको सभी जानते हैं और इस हालत से इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि उन लोगों को इनके हित का ध्यान नहीं रहा।

मौसर का मामला आप ले लीजिये। सामाजिक तौर से हम देखते हैं कि मौसर पर प्रतिबन्ध होते हुए भी किसान लोग पुलिस वालों से मेल मुलाकात करके पैसा देकर मौसर करते हैं। वे यह समझते हैं कि अगर मौसर नहीं किया जावेगा तो उनके बूढ़े-वडेरे स्वर्ग में नहीं पहुँचेंगे। जिन हल्कों में ऐसे सामाजिक रीति-रिवाज हैं और ऐसी कुप्रथाएं हैं उस समाज में अगर ऐसा होगा तो इससे किसानों का बहुत अहित होगा। हमारे रीति-रिवाज़ हमें नीचे गिरा रहे हैं। ऐसी हालत में जिन हल्कों में हम रह रहे हैं वहां इस प्रकार का रहन का अधिकार देंगे तो ऐसे मौके पर जब उसको रुपया चाहियेगा तो वह अपनी जमीन गिरवे रख कर रुपया ले आवेगा और कुछ समय के बाद एक नये प्रकार का लेन्डलोर्डिज्म पैदा होगा। इसलिये राजस्थान की हालत को देखते हुए इस पर जितनी पाबन्दी लगा सकें लगानी चाहिये। इस प्रकार की बन्दिश लगाने के बाद ऐसा होगा कि रहन जब वह रखने के लिये जावेगा तो उसको कम रुपया मिलेगा और इससे भी वह जमीन को ज्यादा अर्से तक गिरवे रखने से बचेगा। हमने यह कुबूल किया है कि इस(मोर्टगेज) को डिसकरेज किया जावे। इसे इधर बैठने वाले और उधर बैठने वालों ने भी,सभीने कुबूल किया है। मैं यह कहूंगा कि अगर रहन भी कोई काश्तकार रखना चाहे तो भी उसके पास उसकी आजीविका के लिये पर्याप्त जमीन सुरक्षित होनी चाहिये। इस खतरे को हटाने के लिये इसको १० साल का कर दिया जावे और कम से कम २० एकड़ इर्रिगेटेड लेन्ड उसके पास रहनी चाहिये। यदि रहन रखने वाला खुद भी जा कर मजिस्ट्रेट के सामने यह कह दे कि मैं इस जमीन को गिरवे रख रहा हूं तो भी समाज को कहना चाहिये कि तेरी जिन्दगी का साथ देने वाली जमीन को मत छोड़। मैं यह कहूंगा कि इससे आने वाले तबके को नुकसान से बचावेंगे। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:— माननीय उपाध्यक्ष, इस सम्बन्ध में कुछ अमेन्टमेंट आये हैं और मेरे एक जोधपुर से आनेवाले मित्र ने जो एमेन्टमेंट रखा है कि हमको मोर्टगेज को डिस्करेज करना चाहिये; मैं समझता हूँ कि जहां तक उसूल का प्रश्न है इसमें दो रायें नहीं हो

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

सकती और मैं भी इस राय से सहमत हूँ कि जमीन के मोर्टगेज के जरिये किसान का शोषण नहीं किया जाना चाहिये लेकिन प्रेक्टिकेबिलिटी का प्रश्न इसके बीच में आता है। पीरियड जो २० साल का रखा है उसको भी, पुराने समय के हिसाब से जो चला आ रहा था उसी के अनुसार २० साल का रखा है। इसको कम करके जितना डिसकरेज हम कर सकें इस बात से मैं सहमत हो सकता हूँ। मैं भी यह चाहता हूँ कि इसको कम करके मोर्टगेज को डिस्करेज किया जावे। लेकिन दूसरी चीज जो मेरे मित्र ने कही कि कम से कम इतनी जमीन छोड़, रखनी चाहिये, यह बात मेरे समझ में कम आती है। वैसे कोई कम्पलशन नहीं है कि वह मोर्टगेज करे। लेकिन वह सरकमस्टेन्सेज की वजह से ऐसा करता है। इसको इम्प्रूव करने के लिये गवर्नमेंट कोओपरेटिव बैंक के लिये अपोरचुनिटी एवेल कराना चाहती है, जिससे वे बोहरों के हाथों में पड़ कर अपनी जमीन से हमेशा के लिये महरूम नहीं रह जावें। मैं जहां तक २० साल का पीरियड है उसको कम करने के पक्ष में हूँ और अगर २० साल से १० साल भी कर दिया जावे तो मुझे कोई एतराज नहीं। आखिर एक व्यक्ति की जमीन दूसरे के पास रहती है। वह उस जमीन का १० वर्ष तक उपयोग करता है तो वह काफी होता है लेकिन इसमें जो जमीन में १/४ या कम से कम २० एकड़ वाली बात जो कही गई है उससे मैं सहमत नहीं हूँ।

हमारे माननीय मित्र श्री त्यागीजी ने भी एक बात रखी कि इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिये। हमें मोर्टगेज को डिस्करेज करना है इसलिये यदि त्यागीजी ने कहा वैसा मोर्टगेजर को मौका मिल सकेगा तो इससे ज्यादा रुकावटें पैदा होंगी। इसलिये मूलरूप में जो क्लॉज है उसमें जो माननीय मथुरादासजी ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार करता हूँ और २० साल के बजाय १० साल रख कर स्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मथुरादास माथुर ने प्रस्तुत किया और उसके अन्दर २० साल के बजाय १० का जो संशोधन करके माननीय मन्त्री ने यह संशोधन स्वीकार किया, क्या इसको स्वीकार किया जावे ?

श्री एच. के. व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, यह इस तरह नहीं होगा। श्री माथुर का संशोधन है, उस पर अलग मत लिये जायें और उसके बाद मेरा जो संशोधन है उसके पहले भाग पर मत लिये जावें और जो सदन को मंजूर होगा वह मंजूर हो जावेगा और जो मंजूर नहीं होगा वह गिर जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष—Yes,

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने प्रस्तुत किया है उसके पहले भाग में बजाय २० साल के १० साल रखे जाने का "substitute the word 'ten' in place of the word 'twenty" है, क्या सदन को यह संशोधन स्वीकार है ?

Page No.66

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

संशोधन का पहला भाग स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इसका दूसरा भाग जो है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

सदन की अनुमति प्राप्त न होने से संशोधन का दूसरा भाग अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री एच. के. व्यास के एक भाग को स्वीकार किया गया उसी अमेन्डमेन्ट के साथ जो संशोधन श्री मथुरादास माथुर ने प्रस्तुत किया है, वह भी स्वीकार किया जाय ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसके साथ क्यों ? उस संशोधन पर अलग से मत लीजिये। उनके संशोधन का ताल्लुक सब क्लॉज (२) से है। उनका मत लेकर फिर "as amended by his (Shri Mathur) amendment and with the amendment in part (1) by me," इस ढंग से करें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि the amendment moved by Shri Mathur on sub clause (2) be accepted.

(स्वीकृत)

श्री माथुर का सब क्लॉज (२) में संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक छोटा सा पोइन्ट मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, माननीय उपाध्यक्षजी। अगर सब क्लॉज २ के 'रिडिलिविर्ड' शब्द को चेन्ज करके रिडीम किया गया है तो थर्ड क्लॉज में भी उसको यानि 'रिडिलीवर्ड' शब्द को रिडीम करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—प्रिन्टिंग मिस्टेक है। यह संशोधन स्वीकार है। यह तो कोन्सिक्वेन्शियल चेन्ज है।

[श्री उपाध्यक्ष]

श्री वेदपाल त्यागी ने जो अमेन्डमेन्ट मूव किया है वे इसको प्रेस करना चाहते हैं या नहीं।

(वोट ले लीजिये की आवाज)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री वेदपाल त्यागी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

श्री त्यागी का संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३२, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३२, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड ३३

श्री माथुर

श्री मथुरादास माथुर—माननीय उपाध्यक्षजी, "For clause 33 the following be substituted--

'Restriction on rights of transfer.-- Notwithstanding anything contained in sections 31 and 32, a woman having a limited interest in a tenancy, shall have no right to sale, mortgage or make a gift of the whole or any part of such interest without the consent of the nearest male reversioner.

Provided that such restriction shall not apply to any transfer of such interest by sale, mortgage or gift, if such transfer is made for or in consideration of a bonafide legal necessity.

Provided further that such a woman may surrender such interest in favour of such reversioner.

Explanation.-- The expression 'legal necessity' in relation to a tenant has the same meaning as it has in the personal law relating to the devolution of property applicable to that tenant,' "

[श्री मथुरादास माथुर]

यह जो ड्राफ्ट मैंने सेक्शन ३३ के लिए रखा है उसमें एक तो बात यह है कि भाषा के ऊपर सुधार है, दूसरा उसमें लीगल नैसेसिटी को एक्स्प्लेन किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सदन इसको मंजूर करेगा। बाकी जो भाव क्लॉज ३३ में पहले थे, वे के वे ही, भाव हैं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री वेदपाल त्यागी।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं अपना अमेन्डमेन्ट मूव नहीं करना चाहता। लेकिन जो अमेन्डमेन्ट मेरे माननीय मित्र श्री मथुरादासजी ने पेश किया है उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपका अमेन्डमेन्ट में प्रोविजो पहले एड किया है:—

"Provided that such restriction shall not apply to any transfer of such interest by sale motgage or gift if such transfer is made for or in consideration of a bonafi de "legal necessity."

मैं यह निवेदन करूं कि इस प्रोविजो में जो 'और गिफ्ट' शब्द हैं वे निकाल देने चाहिए क्योंकि लीगल नैसेसिटी के लिए कोई गिफ्ट नहीं किया जाता है। आप सेल कर सकते हैं, मोर्टगेज कर सकते हैं लेकिन गिफ्ट विदआउट कन्सीडरेशन होता है इसलिए लीगल नैसेसिटी पूरी करने के लिए न कानून इजाजत देता है और न कानून के दायरे में आ सकता है। लिहाजा मैं चाहूँगा कि "or gift" शब्द इसमें से निकाल दिए जांय।

श्री गोपी लाल यादव—श्री उपाध्यक्ष, यह गिफ्ट निकालने की चीज़ है। लीगल नेसेसिटी इसमें नहीं होती है, यह तो ठीक है लेकिन उसके साथ लीगल प्रपजेज हो सकते हैं और उसके लिए गिफ्ट किये जा सकते हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस इस बात का है कि इस कदर अमेंडमेंट इस बिल में आ रहे हैं और इसको प्रगतिशील बनाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न किया जा रहा है लेकिन इस ३३ वे क्लॉज़ से तो ऐसा लगता है कि यह दकियानूसी जमाने की है और वह आज भी है। किसी मित्र ने अमेन्डमेन्ट लाने की कोशिश नहीं की जब कि स्त्रियों को समानाधिकार पाने का अधिकार है। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने से क्यों वंचित रखा जाय। पुरुषों के मुकाबले में तो स्त्रियां घर की अच्छी देख भाल कर सकती हैं, स्त्रियां जायदाद को भी अच्छी तरह से रखती हैं, किन्तु उनको इस तरह मुसीबत पड़ती है कि वे रिवर्शनर्स के बगैर कुछ नहीं कर सकतीं। तो जब तक आप औरतों को पूरे राइट्स नहीं देंगे तब तब काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस सेक्शन को डेफर किया जाय। अमेंडमेंट दूसरी तरह से पेश किये जांय, गवर्नमेंट की ओर से पेश किए जायं और मेरी तरफ से भी मैं पेश करने को तैयार हूँ। स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले में अधिकार दिये जांय, कहीं रत्तीभर भी कमी न की जाय। माननीय उपाध्यक्ष, मैं चाहता हूँ कि स्त्रियों के साथ न्याय किया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, जो माननीय वेदपालजी ने स्पष्टीकरण किया है, वह मैं समझता हूँ कि उपयुक्त है और उसको स्वीकार करने के साथ साथ मथुरादासजी ने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन बीच में अभी एक हमारे माननीय मित्र के प्रगतिशील विचार सुनने का मौका मिला और जिनसे सिलेक्ट कमेटी महरूम रही और सदन में आकर प्रगतिशील विचार जानने का अवसर प्राप्त हुआ, उसका तो हमें हर्ष है। आज का वातावरण ही कुछ इसी माने में अधिक प्रगतिशील हो गया है।

तो इस क्लॉज़ में जहां तक मैं समझता हूं कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण प्रगतिशीलता और रूढ़िवादिता का फैसला हो। वैसे दो क्लॉज़ पहले आये जिनमें सोशल ऑर्डर पर सोचने का अवसर आता है। क्या होगा, क्या नहीं उसके लिए डेफर किया है।

इसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखती जिससे हमें इसे आगे छोडने की आवश्यकता आती हो। मैं जो उन्होंने बातें कहीं है उनसे अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता अनुभव नहीं करता। मैं श्री मथुरादासजी माथुर का जो अमेन्डमेन्ट है उसे स्वीकार करता हूं।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम स्त्रियों के अधिकार जो कि उन धाराओं में रखे हैं, उनको उससे ज्यादा मन्जूर कर लेते हैं तो उसी हैसीयत से उनके अधिकारों का असर इस क्लॉज़ में भी रहेगा। इसलिए यदि इस क्लॉज़ को इसी रूप में पास करते हैं तो २६, २७, और २८ वीं क्लॉज़ में उसके अनुसार संशोधन करने का अधिकार नही रहेगा। पर जब उन क्लॉजेज़ को ड्राप कर दिया गया है तो अब मेरा यह निवेदन है कि अगर हम उन क्लॉजेज़ में चेन्ज करते हैं तो यह क्लॉज़, जो कि उनसे सम्बन्धित है, इस प्रकार नहीं रहेगा।

श्री गोपीलाल यादव—इसको भी डेफर कर दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—डेफर कर लीजिये, आपकी सलाह को जरूर मान लेता हूँ।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो सुझाव है कि इस धारा को भी डेफर किया जाय क्योंकि पहले सेक्शन २८ सक्सेशन टू फीमेल टीनेन्ट को भी हमने डेफर किया है। मेरा ख्याल है कि इसको सदन पास भी कर देता है तो उसमें किसी प्रकार का अन्तर पड़ने वाला नहीं है। जबकि हमने धारा २६ में मेल टीनेन्ट के सक्सेशन में पर्सनल ला को लागू किया है तो हमें सक्सेशन टू फीमेल टीनेन्ट में भी पर्सनल लॉ लागू करना पड़ेगा। मेरा तो यह ख्याल है कि २८ वीं धारा को वैसा का वैसा ही पास करना पड़ेगा क्योंकि धारा २६ में हमने पर्सनल लॉ को मान लिया है जो कि पास हो चुका है। अगर जब मेल में पर्सनल लॉ लागू होता है तो फीमेल में दूसरी बात नहीं रखते। जब २८ वीं धारा में हम पर्सनल लॉ को अडोप्ट करते हैं तो पर्सनल लॉ के हिसाब से वीमेन्स के इन्टरेस्ट भी लिमिटेड हो जाते हैं। तो जो यह दफा है, जिस पर सदन वाद-विवाद कर रहा है, वैसी हालत में इसमें तबदीली करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। २८ को फोर्मली

[श्री मथुरादास माथुर]

(Formally) पास नहीं किया वरना इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर २७ वीं सेक्शन में पर्सनल ला को बदल भी देते हैं तो इसमें तरमीम होने वाली नहीं है।

श्री जवानसिंह—Limited intrest...

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ तैंतीसवीं मुल्तवी किया जाता है।

खण्ड ३४

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ ३४, श्री मथुरादास माथुर।

श्री **मथुरादास माथुर**—डिप्टी स्पीकर, सर, क्लॉज़ ३४ में मेरा संशोधन यह है:—
"For clause 34 the following be sudstituted, namely;-

"34, Mortgage by tenants of khudkasht and sub-tenants:-A tenant of khudkasht or a sub-tenant of land not in excess of the area prescribed for the purposes of section 131 may mortgage the whole or any part of his holding for a period not exceeding the term of his sub-lease, to the State Government or any co-operative society or to any other institution specified in a notification in this behalf by the Government."

मौजूदा क्लॉज़३४ को रिप्लेस करके यह दूसरी क्लॉज़ डाली गई है जो कि ओरिजिनल एक्ट में नहीं है। खुदकाश्त टीनेन्ट, सब टीनेन्ट को मोर्टगेज के अधिकार हैं, वे ही दिये गये हैं। जैसा कि उधर से मांग थी कि यह अधिकार देने चाहिये, यह अधिकार मिले हैं, मुझे उम्मीद है कि इस क्लॉज़ को मंजूर करेंगे।

श्री जवानसिंह—यह भी बताया जाय कि पहले की धारा को डिलीट करने का जो सुझाव रखा है उसका क्या अर्थ है ?

श्री मथुरादास माथुर—(जारी) रजिस्ट्रेशन एक्ट के मातहत वह एड हो जायगी। इसलिये एडीशन ३४ ए करने की जरूरत नहीं समझी गई। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्दर वह गवर्न हो जाते हैं। ३४ वीं क्लॉज़ की जगह मोर्टगेजी के राइट सब टीनेन्ट को हों, वही इसमें डाला है।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा ३४ जैसी कि संशोधित रूप में अभी पेश की गई है उस विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल धारा है उस धारा से इसका कोई संबन्ध नहीं। धारा ३४ ओरिजनल बिल में थी उसको डिलीट करने से क्या

[श्री जवानसिंह]

अर्थ सिद्ध होगा ? इससे बीच में वेक्युम रह जायगा । इस बात की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पहले मैं, जैसा कि संशोधन अभी प्रस्तुत किया गया है उस पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अभी यह संशोधन किया गया है कि टीनेन्ट आफ खुदकाश्त को यह अधिकार दिये जांय कि वह अपनी जमीन को रहन कर सके उतने समय के लिए जितने समय तक के लिए कि उसका खुद का सबलीज है। मैं सदन का ध्यान धारा ३५ के सब क्लाज (२) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, और उसमें यह बहुत साफ लब्जों में दिया गया है—

"(ii) No Sub-tenant or tenant of Khudkasht shall sub-let the whole or any part of his holding."

तो जब यह आगे की धारा में यह साफ है और बिल्कुल साफ है कि सब-लेटिंग के अधिकार न तो सब-टीनेन्ट को दिया गया है और न टीनेन्ट आफ खुदकाश्त को दिया गया है। यहां पर जो धारा प्रस्तुत की गई है सब लीज़ के टर्म को मोर्टगेज करने का अधिकार टीनेन्ट आफ खुदकाश्त को दिया गया है, यह किस प्रकार से फिट होगा, यह वास्तव में सोचने की बात है। इस वक्त मैं सदन का ध्यान उन संशोधनों की तरफ आकर्षित करना नहीं चाहता जो संशोधन अभी तक मूव नहीं हुए हैं और यह भी पता नहीं कि जिन महानुभावों ने संशोधन रखे हैं वे आगे जाकर क्लॉज़ ३५ में अपने संशोधन मूव करेंगे भी या नहीं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि धारा ३५ की उपधारा (२) है उसमें इस बात का समावेश किया गया है कि सब-टीनेन्ट और टीनेन्ट आफ खुदकाश्त को सब लेट करने का कतई अधिकार नहीं, तो फिर उसके लिए कोई समय नहीं रहता कि एक दिन के लिये भी अपनी लेन्ड को सब लेट कर सके। टर्म भी नहीं कि सब लीज़ व मोर्टगेज के लिये कौनसी टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं। आगे के क्लॉज़ को देखते हुए बिल्कुल अनुपयुक्त है। यह तो इससे नहीं माना जा सकता कि इसको मोर्टगेज करने का अधिकार दिया गया है।

दूसरी बात यह सोचनी है कि टीनेन्ट आफ खुदकाश्त जिसको कि हमने तीसरे टीनेन्ट का क्लासिफिकेशन रखा है, उसको ये अधिकार देने से उसका लाभ होगा या नहीं, यह सोचने की बात है। इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम सच्चे माने में टीनेन्ट आफ खुदकाश्त का हित सोचते हैं तो उसके हित साधन के लिए हमें उसको यह अधिकार देने से मेरे ख्याल में हम उसका ज्यादा नुकसान करने जायेंगे बानिस्पत उसका फायदा करने के।

मोर्टगेज करने का अधिकार उसे उस वक्त तक रहना चाहिये जिस वक्त तक कि उस जमीन पर उसका अधिकार हो।

Page No.72

[श्री जवानसिंह]

और वह अधिकार किसी तरह से सीमित न हो, यहां पर सब टीनेन्ट आफ खुदकाश्त जो हैं उनके अधिकार बहुत ही सीमित हैं और उसकी सीमा, जैसा कि इस वक्त के इस बिल की क्लॉज़ेज़ में एक तरह से दिखाया गया है कि जिसके लिए कोई सीमा ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हम एक तरफ सीमा नहीं रखना चाहते और दूसरी तरफ सीमा के लिए ही मोर्टगेज का अधिकार उसे दे रहे हैं और दो--चार छ साल के बाद जाकर मोर्टगेज कर लेने का और सबलेटिंग का हक है, तो इतने अरसे के लिए हम उसको मोर्टगेज करने का अधिकार देकर, यह चाहें कि जमीन उसको काश्त के लिए दी गई है वह काश्त ही करे, तो इस प्रकार तो वह काश्त करने से महरूम हो जावेगा, उसकी जमीन मोर्टगेज में चली जावेगी और दलील साथ में यह भी देते हैं कि टिलर को काश्त करने के लिए जमीन होनी चाहिये। पर इसके विपरीत दो तीन साल के लिए टीनेन्ट आफ खुदकाश्त को या सब टीनेन्ट को खुदकाश्त के लिए अधिकार दिया जा रहा है काश्त करने के लिए, और साथ ही मोर्टगेज के लिए भी। इसके लिए चार पांच साल का अरसा भी दिया कि वह दूसरे को मोर्टगेज रखकर ......

श्री मथुरादास माथुर—मेरे खयाल से मेरे साथी कुछ गलतफहमी में हैं। यह जो मोर्टगेज का राइट दिया गया है वह दूसरे के लिए नहीं है। यह स्टेट गवर्नमेन्ट के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटियों एण्ड अदर इन्स्टीट्यूशन्स नोटिफाइड इन दी गवर्नमेन्ट गजट के लिये है। इसलिये दूसरे कसी को मोर्टगेज देने का अधिकार नहीं है। वह सिर्फ सरकार को या कोऑपरेटिव सोसाइटियों को या ऐसी संस्था को जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त है मोर्टगेज कर सकता है लोन लेने के लिए, तकाबी लेने के लिए या ऐसे ही अन्य काम के लिए। यह अधिकार इन्हीं को है, न कि और किसी प्राइवेट परसन को है।

श्री जवानसिंह—इसमें यह क्या साफ है कि इसके साथ में पज़ेशन नहीं दिया जावेगा इस लैण्ड का ?

श्री मथुरादास माथुर—नहीं साहब। It is a simple mortgage जमीन जो है वह उन्हीं के पास रहेगी। इससे तो वह एक तरफ से सिक्योरिटी होगी, इस लोन के लिए या तकाबी के लिये। This is only simple mortgage and not usufructuary mortgage. This is only simple mortgage and mortgaged only to the State Government or any co-operative society or to any other institution which is recognized by the State Govetnment and notified in the Government Gazette.

श्री जवानसिंह—मुझे जो यह शंका सदन के सामने लाने की इच्छा हुई उसके लिये खास तौर से यह बता देना चाहता हूं कि थोड़े दिन पहले मोर्टगेज की ३२वीं क्लॉज में प्रोवीजन लाया गया है और वहां पर खास तौर से संशोधन के जरिये यह अनुरोध भी किया गया था कि अगर तमाम

[श्री जवानसिंह]

तरह के मोर्टगेज के लिये अधिकार दिया जाय तो बेहतर होगा। अगर उस जगह आपके बताये अनुसार मान लिया जाता तो बेहतर होता और यहां ऐसी शंका नहीं होती।

अगर इस चीज को मन्जूर भी कर लिया जावे कि यहां पर दूसरे किस्म का मोर्टगेज होगा और खेत का पज़ेशन खुदकाश्त टीनेन्ट के पास रहेगा और वह केवल बतौर सिक्योरिटी के रहेगा तो भी मैं नहीं समझ सका कि टीनेन्ट या टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त का कितने अरसे तक हक रहेगा और कितने अरसे तक वह पैसा ले सकेगा और उससे वाकई में किसान का कितना भला हो सकेगा। यह जमीन थोड़े अरसे के लिए, दो साल, तीन साल के लिये टीनेन्ट आफ खुदकाश्त और सब टीनेन्ट को मिली है। उस थोडे से अरसे में उसे कितना पैसा मिल सकेगा, वह उस जमीन पर कितना रुपया मोर्टगेज से उठा सकेगा और इसी थोडे से अरसे में वह वापिस दे सकेगा या नहीं और अगर उस अरसे में नहीं दे सका और लीज़ ली हुई उसकी जमीन उसके हाथ में नहीं रही तो फिर उस पैसे को जो मोर्टगेज द्वारा उस जमीन पर वसूल किया गया है किससे वसूल किया जावेगा। इस तरह से किसान कई उलझनों में पड़ जावेगा। इन सब चीजों पर आपका ध्यान दिलाते हुए मैं अर्ज करूंगा कि इसे किसी तरह से ठीक नहीं माना जाना चाहिये।

अब दूसरा सवाल जो ओरिजिनल की क्लॉज़ ३४ का है उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके लिए मेरा यह निवेदन है कि हमने इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९०८ को जरूर नहीं माना और उसके बजाय हमने उसको बहुत ही सरल कर लिया। अब इसके लिए केवल काश्तकार तहसीलदार के सामने जाकर अटेस्टेशन करेगा। लेकिन हमने तहसीलदार के सामने अटेस्टेशन कराने की पद्धति को इन व्यू ऑफ इण्डियन एक्ट माना है और इस चीज को हमने करीब २ उसके बराबर ही महत्व दिया है, तो असल चीज से यह अटेस्टेशन की पद्धति को जिस प्रकार अधिक महत्व दिया गया है उसी प्रकार इस ओरिजिनल को भी रहने दिया जाना चाहिए ताकि अगर कोई काश्तकार इस इण्डियन एक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के मातहत भी रजिस्टर्ड कराना चाहे तो करा सके और नहीं तो अगर वह चाहे तो तहसीलदार से भी अटेस्टेशन करा सके। दोनों चीजें रख देनी चाहिये, किसान जिसको पसन्द करे उसे अपना ले। तो दोनों पद्धतियों के रहने से किसान को चोइस (Choice) करने का मौका रहेगा।

इन दोनों क्लॉजेज़ में संशोधित रूप से जो यह ३४ वा क्लॉज़ पेश किया गया है और ओरिजिनल बिल में जो ३४ वां क्लॉज़ है इन दोनों में सम्बन्ध नहीं है, इसलिये इन दोनों को अलग २ रखिये।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे माननीय मित्र श्री मथुरादास ने जो संशोधन क्लॉज़ ३४ में रक्खा है सबसे पहले तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जब तक आप क्लॉज़ ३५ को पास न कर लें तब तक वह संशोधन इस प्रकार का है कि उस पर विचार हो नहीं कर

[श्री गोपीलाल यादव]

सकते, क्योंकि क्लॉज़ ३५ में जब कि आपने सब टीनेन्ट से सबलैटिंग के अधिकार छीने हुए हैं, जैसा कि उसमें साफ लिखा है क्लॉज़ ३० की सब क्लॉज़ (२) में कि..."No sub-tenant or tenant of khudkasht shall sub-let the whole or any part of his holding." तो सबलैटिंग का राइट उनको एक दिन का भी नहीं दिया हुआ है। जब एक दिन का भी नहीं दिया है तो उनको मोर्टगेज का राइट कैसे दे सकते हैं? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इस मोर्टगेज वाली चीज पर विचार करने का है तो इसके पहले क्लॉज़ ३५ पर विचार करिये। इसमें मोर्टगेज करने का राइट तो दे दिया गया है। जब सबलैट करने का राइट नहीं देते तो मोर्टगेज का राइट तो किसी कानून की तहत मिल ही नहीं सकता। तो एक तो निवेदन करना यह है कि अगर इस संशोधन पर विचार किया जावे तो क्लॉज़ ३५ को पहले लिया जावे।

दूसरा निवेदन करना यह है कि जैसा कि मेरे मित्र मथुरादासजी माथुर ने यह फरमाया कि "This is only a simple mortgage and not an usufructuary mortgage;" वह कब्जा रहन नहीं कर रहा है, सिम्पल रहन कर रहा है तो सिम्पल रहन एक टीनेन्ट, सबटीनेन्ट से लेने कोई नहीं जा रहा है। तो यह केवल एक मजाक होगी क्योंकि मान लीजिये लैण्ड देने के लिए एक टीनेन्ट और एक सबटीनेन्ट को हमने तीन साल के लिए जमीन दी है और उसने उस तीन साल पर ली हुई जमीन पर कोऑपरेटिव सोसायटी से १००) लिये। तीन साल के लिए आपने उसे मोर्टगेज रख दिया। अब इस तीन साल तक मुनाफा उठाया जमीन की पैदावार का, उस लोन का या तकावी का, उसके बाद टर्म खतम हो जाती है। जमीन वह उसकी टीनेन्ट को जावेगी या मालिक को जावेगी और फिर सरकार या कोऑपरेटिव सोसायटी क्या वसूल करेगी और किससे करेगी। अपना रुपया वसूल करने के लिए वे जमीन पर हमला करेंगे, कहेंगे लाओ हमारा रुपया, तीन साल में आपने रुपया वापिस नहीं दिया तो उसका हरगिज पजेशन जमीन पर नहीं रहेगा। वह सोसायटी कहेगी कि यह तो हमें दो जिससे हमें हमारा रुपया मिले। तो सिम्पल मोर्टगेज बनाने में तो किसी तरह की सिक्योरिटी होती ही नहीं लोन की। हां, एक चीज हो सकती है कि अगर वह यह कर दें कि जो टीनेन्ट या सब टीनेन्ट खुदकाश्त तीन साल के लिए सबटीनेन्ट है वह अपनी जमीन को पहले एक साल के लिये मोर्टगेज कर सकता है और इसके बाद अगर रुपया न दे तो पिछले दो साल के लिए वह खेत उससे कोऑपरेटिव सोसायटी ले लेगी, उसमें फिर वह अपने पास रखकर अपना रुपया वसूल कर लेगी। यानि हमें विचार यह करना है कि वह परपज जिसको कि मेरे मित्र मथुरादासजी हल करना चाहते हैं क्या वह इस क्लॉज़ से हल हो जायगा? वह इस तरह से हल हो सकता है कि आप तीन साल का जो सबटिनेन्ट है उसको आप राइट दे दीजिये मोर्टगेज करने का और उसके वन ईयर के बाद वह रुपया नहीं देता है तो उसकी दो साल की रिमेनिंग टर्म्स हैं; तो उन दो सालों के लिए कब्जा कर लेगी ताकि उससे सोसाइटी दो साल मुनाफा लेकर अपना रुपया वसूल कर ले। लेकिन इस तरह से नहीं होने पर कोई मतलब हल नहीं होनेवाला है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर विचार करेंगे।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—माननीय उपाध्यक्ष, अभी श्री वेदपाल त्यागी ने एक अमेंडमेंट क्लॉज़ ३२ के बाबत रखा था उसको नामन्जूर किया गया और उसके खिलाफ यह मोर्टगेज करने का अधिकार टीनेन्ट्स को दिया है जो खुदकाश्त के टीनेन्ट हैं या सबटीनेन्ट को दिया गया है। तो क्या जो खातेदार टीनेन्ट्स हैं उनको यह हक नहीं दिया जा सकता है। उनको इससे क्यों महरूम रखा जा रहा है। क्या खातेदार टीनेन्ट गवर्नमेंट से लोन नहीं लेने जा सकता जब कि उसका टीनेन्ट या सबटीनेन्ट लोन लेने जा सकता है? इनको भी क्यों नहीं आप यह अधिकार देते हैं?

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन हमारे माननीय मित्र श्री मथुरादासजी ने रखा है उसको मैं सिद्धान्त के विरुद्ध तो नहीं मानता हूं लेकिन यह बात अवश्य है कि इस तरह से गवर्नमेंट के पास या कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के पास रहन रखने का अधिकार खातेदार टीनेन्ट्स को हमारे यहां नहीं है। खातेदार टीनेन्ट्स को भी यह अधिकार दिया जाय तो मैं समझता हूं कि मेरे खयाल से इससे सहूलियत होगी। यह ठीक है कि क्लॉज़ ३२ पर जब हम विचार कर रहे थे उस वक्त जो संशोधन प्रस्तुत किया था उसको भी नहीं माना था, क्योंकि मोर्टगेज करने का जो तरीका है इसको गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है मैं भी इस सिद्धान्त से पूर्णतया सहमत हूं कि जहां तक हो सके वह नहीं रखना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की इन्स्टीटयुशन्स के पास जैसी कि इन्स्टीटयुशन्स इसमें बयान की गई हैं, उनके पास रहन रखने के अधिकार से खातेदार टीनेन्ट्स को महरूम नहीं रखा जाय वरना उनको एक प्रेक्टिकल डिफिकल्टी महसूस होगी। जब कभी उनको भी रुपये की ज्यादा आवश्यकता महसूस हुई और अपनी जमीन को दूसरे के पास ट्रान्सफर नहीं करना चाहा तो उनको रुपया नहीं मिलेगा। तो मोर्टगेज में आप खातेदार टीनेन्ट को भी टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त की श्रेणी में रख दे तो खातेदार टीनेन्ट को भी वह हक मिल जायगा और क्लाज ३२ का सिर्फ युजुफ्रक्चुअरी मोर्टगेज से सम्बन्ध रह जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यायक्ष, मैं समझता हूं कि इस क्लाज में जो बहुत सा मुगालता हो रहा है वह कई रूपों में सामने आ रहा है। वह तब तक स्पष्ट होना मुश्किल होगा जब तक कि सिक्स्टीन्थ क्लाज को पूरा का पूरा अोप्ट न कर लेंगे। यह ठीक है कि टेम्परारी सबलेटिंग के लिये अधिकार दिये जायं जब कि एक एमेंडमेंट इस प्रकार भी पेश हुआ हैं कि सर्टेन टरम्स पर भी सबलेटिंग कर दें, उसके साथ बहुत सी चीजें मानी गई हैं। वह उस एमेंडमेंट की लाइट में विचार की जायंगी तो ठीक रहेगा। उसके बिना इसमें दिक्कत होगी। तो मैं समझता हूं कि १६ वीं क्लाज का कन्सीडरेशन चाहे अभी चाहे सुबह हम शुरू करें और बाद में शेष क्लाज़ेज़ को कर लें और उसके बाद साथ ही साथ जो जुड़ी हुई क्लाज़ेज़ हैं उनको लें।

जहां तक माननीय त्यागीजी का संशोधन है मैं समझता हूं कि उसे स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन उसको देखते हुए उस लाइट में इस चीज को डिसाइड

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

करें तो बेटर होगा सदन अगर मेरी इस राय से सहमत हो तो मैं चाहता हूं कि क्लॉज़ १६ को डिस्कस करें कल सुबह से।

श्री चांदमल मेहता—नं ११ ए से शुरू किया जाय।

श्री सुखाडिया—नं ११ ए उतना आवश्यक नहीं है, ११ ए पर डिपेन्डेन्ट नहीं हैं clause 30 to 35

श्री उपाध्यक्ष—क्लाज ३४ को मुलतवी किया जाता है।

श्री मथुरादास माथुर—Consideration may be deferred.

श्री उपाध्यक्ष—clause 35

श्री मोहनलाल सुखाडिया— सदन कल सुबह मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—(सदन का रुख देखकर) सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है, कल सुबह ८ बजे मिलेगें।

(सदन कल मंगलवार, दिनांक २४ अगस्त, १९५४ के ८-०० बजे प्रातः काल तक के लिए, सायं ७. ३७ पर स्थगित हुआ।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक- २३ अगस्त, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १५०४ का उत्तर देखिये)

गांव जहां स्कूल खुले हुए हैं।

बाखासर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत गांव	सैडवा पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत गांव
१ बछावला	१ हरियालीया
२ बाखासर	२ सेडवा
३ बनवरला	
४ पादरवाली	

गांव जहां स्कूल नहीं हैं।

१ नवातला	१ बीसासर
२ अराती	२ बरनका ताला
३ भलगांव	३ कुन्दनपुरा
४ भाडा	४ पुजासर
५ मुनवरलिया	५ साऊ
६ चन्दासनी	६ सोनरी
७ देःाबाओ	७ अकाल
८ धूरवा चौहाना	८ आलू का ताला
९ एकल	९ वाबतलौरी
१० कागलिया	१० बछुला
११ फकीरों का निंवान	११ बमादला
१२ गीरा	१२ भैरूदा
१३ हैमावा	१३ भंवर
१४ हतला	१४ बोली
१५ जरफा	१५ चलाकना

१	२
१६ खारी	१६ चम्पा का बेरा
१७ लकड़ासर	१७ चीरचासर
१८ मदावास	१८ घैंबा
१६ मैंधाईज की बेरी	१९ दीपला
२० भौगवा	२० एसन का तला
२१ मुलानी	२१ गंगासर
२२ नावापुरा	२२ गौरा
२३ पादर-का-नीवां	२३ जालीता
२४ पानदान का नीवां	२४ जौपालिया
२५ पनौरिया	२५ कैकर
२६ पसरला	२६ कटोइया
२७ रंगवाली	२७ कोटतेलानी
२८ सनवलनम	२८ औयला
२६ स्तान	२६ पीरू का तला
३० सुहागी चरनन	३० रोहिला
३१ तरीसर	३१ साबरबास
३२ तरला	३२ तरला
	३३ सायर का कोसिता
	३४ सियानिया
	३५ सियार
	३६ संबला
	३७ सौमरार
	३८ तालसर

(परिशिष्ट २)

(कृपया प्रश्न संख्या १५०६ का उत्तर देखिये)

उदयपुर डिविजन

१.	विद्या भवन टीचर्स ट्रेनिंग कालेज (एडेड)	ग्रैजूएट्स
२.	,, ,, हैण्डीक्राफ्ट इन्स्टीट्यूशन (एडेड)	मैट्रिकुलेट्स व मिडिल पास
३.	बेसिक टीचर्स ट्रेनिग कालेज (राजकीय)	मैट्रिकुलेट्स

बीकानेर डिविजन

१.	टीचर्स ट्रेनिग कालेज (राजकीय)	इन्टरमीडियेट्स

कोटा डिविजन

१.	जे. टी. सी. स्कूल (राजकीय)	मिडिल पास

जोधपुर डिविजन

१.	जे. टी. सी. स्कूल फीमेल (राजकीय)	मिडिल पास
२.	,, ,, (मेल) ,,	,, ,,

जयपुर डिविजन

१.	एस. टी. सी. स्कूल जयपुर (राजकीय)	मैट्रिकुलेट्स
२.	जे. टी. सी. (फीमेल) जयपुर ,,	मिडिल पास
३.	,, (मेल) परशरामद्वारा ,,	,, ,,
४.	,, ,, पावटा ,,	,, ,,
५.	,, ,, अलवर ,,	,, ,,
६.	,, ,, भरतपुर ,,	,, ,,
७.	,, ,, सवाई माधोपुर ,,	,, ,,